

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

जयपुर नगरीय क्षेत्र में जलप्रदाय और मलवहन प्रणाली के प्रबंध के लिए जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड की स्थापना और निगमन और उससे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण जयपुर नगरीय क्षेत्र में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन गठित जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ii) "बल्क जल वहन" से किसी पाइपलाइन से या किसी ऐसे यान, जिस पर स्थायी रूप से लगा हुआ या अलग किया जा सकने वाला जल टैंक है, द्वारा जल का भौतिक परिवहन अभिप्रेत है;

(iii) "सी.पी.एच.ई.ई.ओ." से भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की तकनीकी शाखा केन्द्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन अभिप्रेत है;

- (iv) "मलकूप" में किसी भी परिसर से गंदे द्रव्य को ग्रहण किये जाने या उसका निस्तारण करने के लिए कोई सैटलमेन्ट टैंक या अन्य टैंक सम्मिलित है;
- (v) "समिति" से धारा 14 और 15 के अधीन गठित कोई भी समिति अभिप्रेत है;
- (vi) "संवहन पाइप" से अभिप्रेत है-
- (क) जहां परिसर, जिसमें जल का प्रदाय किया जाता है, मार्ग के उस भाग से लगा हुआ है जिसमें मुख्य पाइप बिछायी जाती है, और सर्विस पाइप उस मार्ग के किसी भवन की बाहरी दीवार से अन्यथा प्रवेश करती है और उस परिसर में स्टापकाक लगा हुआ हो और वह स्टापकाक उस मार्ग की सीमा के इतना पास हो जितना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, वहां सर्विस पाइप का इतना भाग जितना मुख्य पाइप और उस स्टापकाक के बीच बिछाया जाये;
- (ख) किसी अन्य मामले में, सर्विस पाइप का इतना भाग जो मुख्य पाइप और उस मार्ग, जिसमें वह मुख्य पाइप बिछायी जाती है, की सीमा के बीच बिछाया जाये और इसमें मुख्य पाइप के साथ सर्विस पाइप के संधि-स्थल पर लगा हुआ फेरल और निम्नलिखित भी सम्मिलित है-
- (I) जहां संवहन पाइप स्टापकाक पर समाप्त होती है, वह स्टापकाक; और
- (II) संवहन पाइप के अंतिम सिरे और मुख्य पाइप के बीच में संवहन पाइप पर लगा हुआ कोई स्टापकाक;
- (vii) "घरेलू मल" से रिहायशी परिसरों, बोर्डिंग और बासों, छात्रावासों, होटलों, लोक-स्थानों, कार्यालयों और ऐसे समस्त अन्य स्थापनों, जो किसी व्यापार या उद्योग के भाग नहीं हैं, और वैयक्तिक तथा सामान्य

मानवीय क्रियाकलापों जैसेकि पीने, स्नान करने, अपमार्जन करने, धोने और खाना पकाने, से उदभूत बेकार जल अभिप्रेत है;

- (viii) "नाली" में मलनाली, सुरंग, पाइप, खाई, जलसरणी या कोई अन्य युक्ति, जिससे छलकन, मल, मैला पानी, घृणोत्पादक पदार्थ, दूषित जल, बेकार जल, वर्षा जल या अधोमृदा जल का वहन हो, साथ ही शौचालय पात्र, ट्रेप्स, सिंक, हौज, फलश टैंक, तथा उनसे अनुलग्न अन्य फिटिंग सम्मिलित हैं;
- (ix) "निधि" से धारा 18 के अधीन गठित जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड निधि अभिप्रेत है;
- (x) "भू-जल" से ऐसा जल अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट स्थान पर भूमि की सतह के नीचे विद्यमान है;
- (xi) "जयपुर नगरीय क्षेत्र" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (xxxix) के अधीन सरकार द्वारा यथा अधिसूचित जयपुर नगर निगम की सीमाओं के भीतर का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें;
- (xii) "अनुज्ञप्तिधारी अभियंता या प्लम्बर" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभियंता या प्लम्बर के रूप में अनुज्ञप्तिधारी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (xiii) "स्थानीय प्राधिकारी" से कोई नगरपालिका या कोई पंचायत या कोई प्राधिकारी या बोर्ड, या कोई अभिकरण, जिसे सरकार द्वारा जयपुर नगरीय क्षेत्र में जल और मलवहन प्रणाली का नियंत्रण या प्रबंधन्यस्त किया जाये, अभिप्रेत है;
- (xiv) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

- (xv) "परिसर" से कोई भूमि या भवन या भूमि या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है;
- (xvi) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (xvii) "मुख्य पाइप" से, अलग-अलग उपभोक्ताओं को किये जाने वाले जलप्रदाय से भिन्न, जल का सामान्य प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा बिछाया गया कोई पाइप अभिप्रेत है, और इसमें ऐसे पाइप के संबंध में उपयोग में लिया गया कोई साधित्र सम्मिलित है;
- (xviii) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;
- (xix) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (xx) "स्कीम" से जलप्रदाय और मलवहन प्रणाली और उससे संसक्त मामलों से संबंधित कोई स्कीम अभिप्रेत है;
- (xxi) "सर्विस पाइप" से किसी मुख्य पाइप से किसी परिसर तक जलप्रदाय करने के लिए किसी पाइप का इतना भाग अभिप्रेत है, जो उस मुख्य पाइप से आने वाले जल दबाव के अध्यधीन है, या कुछ नलों को बंद करने के भी अध्यधीन होगा;
- (xxii) "मल" से विष्ठा और शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों या नालियों की अन्य अन्तर्वस्तु, और सिंक, स्नानागार, अस्तबल, पशुशालाएं और ऐसे ही अन्य स्थानों का दूषित जल अभिप्रेत है और इसमें व्यवसायिक बहिःस्राव और समस्त प्रकार की विनिर्माणशालाओं से होने वाले निस्सारण सम्मिलित हैं;
- (xxiii) "मलनाली" से मल, मैला पानी, वर्षा जल, घृणोत्पादक पदार्थ, प्रदूषित जल, बेकार जल और

अधोमृदा जल का वहन करने के लिए कोई युक्ति अभिप्रेत है और इसमें नाली सम्मिलित है;

- (xxiv) "मलवहन" से मल के संग्रहण, शोधन या निस्तारण के लिए मलनालियों की कोई प्रणाली अभिप्रेत है और इसमें मलवाही संकर्म सम्मिलित हैं;
- (xxv) "मलवाही संकर्म" में कोई मलनाली, डक्ट, संग्रहण या शोधन या निस्तारण इकाइयां, पंपिंग स्टेशन, इंजन, चल-संग्रहण इकाई और अन्य मशीनरी और उससे लगी हुई कोई भूमि जो निजी संपत्ति नहीं है और मल के संग्रहण या शोधन या निस्तारण के लिए कोई भूमि, भवन या अन्य वस्तुएं सम्मिलित हैं;
- (xxvi) किसी विद्यमान कुएं या नये कुएं के संबंध में "खोदना" के अन्तर्गत, उसके समस्त व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, भू-जल को निकालने के लिए नये कुएं की खुदाई, प्रवेधन, या वेधन करना और विद्यमान कुएं को गहरा किया जाना सम्मिलित है;
- (xxvii) "मार्ग" में कोई रास्ता, सड़क, लेन, चौक, आंगन, वीथी, गली, पथ, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, और चाहे उस पर निर्माण किया गया हो या नहीं, जिस पर जनसाधारण को रास्ते का अधिकार हो और इसमें किसी पुल या सेतु मार्ग के ऊपर सड़क मार्ग या पैदल मार्ग भी सम्मिलित है;
- (xxviii) "प्रदाय पाइप" से किसी सर्विस पाइप का इतना भाग, जहां तक वह संवहन पाइप नहीं है, अभिप्रेत है;
- (xxix) "व्यवसायिक बहिःस्राव" से ऐसा कोई द्रव, जो या तो उसके मिश्रण में पदार्थ के कणों सहित हो या उनके बिना हो, जो व्यवसायिक परिसर में किये जा रहे किसी व्यापार या उद्योग के अनुक्रम में

पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है, और किसी व्यवसायिक परिसर के संबंध में कोई ऐसा पूर्वोक्त द्रव अभिप्रेत है जो उन परिसरों में चलाये जा रहे किसी व्यापार या उद्योग के अनुक्रम में इस प्रकार उत्पन्न होता हो, किन्तु इसमें घरेलू मल सम्मिलित नहीं है;

- (xxx) "व्यवसायिक परिसर" से किसी व्यापार या उद्योग को चलाये जाने के लिए उपयोग किया गया या उपयोग किये जाने के लिए आशयित कोई परिसर अभिप्रेत है;
- (xxxii) "जल फिटिंग" में जल के प्रदाय और उसके उपयोग, प्रवहण या भण्डारण के संबंध में प्रयुक्त पाइप (मुख्य पाइप से भिन्न), नल, स्टापकाक, मीटर, स्नानघर और अन्य समरूप साधित्र सम्मिलित हैं;
- (xxxiii) "जल संकर्म" में समस्त झीलें, टैंक, जल-धाराएं, झरने, पंप, कुएं, जलाशय, वाटर ट्रक, मुख्य पाइप, कलस्टर्स, पाइप, स्टैंडपाइप, हाइड्रेंट और जलप्रदाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली गयी या लिये जाने के लिए आशयित समस्त भूमि, भवन, संयंत्र, उपस्कर और मशीनरी, पुल और वस्तुएं सम्मिलित हैं; और
- (xxxiiii) "कुआं" से, भू-जल का वैज्ञानिक अन्वेषण, खोज, विकास, संवर्धन, संरक्षण, संरक्षा या प्रबंध करने के लिए, सरकार या भारत सरकार के प्राधिकृत पदधारियों के सिवाय, किसी व्यक्ति द्वारा भू-जल की तलाशी, या उसको निकालने के लिए खोदी गयी कोई संरचना अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत, भू-जल को निकालने के लिए शारीरिक रूप से प्रचालित किसी युक्ति के सिवाय, खुला कुआं, खुदा कुआं, बोर कुआं, खुदा एवं बोर कुआं, नलकूप,

फिल्टर पॉइन्ट, संग्राही कुआं या अन्तःसरण गैलेरी, पुनर्भरण कुआं, निर्वर्तन कुआं, या उनमें से किसी का संयोजन या रूपभेद है।

अध्याय 2

बोर्ड की स्थापना और गठन

3. बोर्ड का गठन.- (1) "जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड" के नाम से एक बोर्ड की स्थापना की जायेगी जिसे इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" कहा गया है।

(2) बोर्ड, पूर्वोक्त नाम का निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी, जिसे इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) बोर्ड को समस्त प्रयोजनों के लिए एक स्थानीय प्राधिकारी समझा जायेगा।

(4) बोर्ड, अध्यक्ष और अन्य ऐसे सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों से मिलकर बनेगा जो पन्द्रह से अनधिक होंगे, जो विहित किये जायें और सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें।

(5) गैर-सरकारी सदस्यों में जल सेक्टर और मलवहन सेक्टर से एक-एक प्रख्यात व्यक्ति होगा और तीसरा सदस्य साधारण जनता के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निर्वाचित प्रतिनिधि होगा।

4. गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें.- प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की कालावधि तक पद धारण करेगा। गैर-सरकारी सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो नियमों द्वारा विहित की जायें।

5. सदस्य का त्याग-पत्र.- कोई भी सदस्य, सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा और ऐसे त्याग-पत्र को

सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर ऐसे सदस्य के लिए यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

6. सदस्य को हटाया जाना.- (1) धारा 8 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, सरकार, अधिसूचना द्वारा, बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसके पद से, इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच किये जाने के पश्चात्, सरकार की ऐसी रिपोर्ट पर कि उस सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाना चाहिए तो सिद्ध कदाचार के आधार पर हटा सकेगी।

(2) सरकार, किसी सदस्य के विरुद्ध उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट जांच की कालावधि के दौरान बोर्ड के ऐसे सदस्य को निलम्बित कर सकेगी।

(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि अध्यक्ष या, यथास्थिति, ऐसा अन्य सदस्य,-

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो चुका है; या
- (ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या
- (ग) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या
- (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर चुका है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
- (ङ) उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है।

(4) उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सदस्य को खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि सरकार ने, उसके द्वारा इस निमित्त विहित ऐसी प्रक्रिया के अनुसार की गयी जांच पर यह रिपोर्ट

नहीं दे दी हो कि उस सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर हटाया जाना चाहिए।

7. रिक्तियों इत्यादि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.- बोर्ड का कोई भी कृत्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि-

- (क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
- (ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

8. बोर्ड में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.- (1) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह-

- (क) किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, जब तक कि ऐसी दोषसिद्धि अपास्त नहीं कर दी गयी हो;
- (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है;
- (ग) विकृत चित्त का है;
- (घ) बोर्ड के साथ या उसके द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के द्वारा या किसी भागीदार, नियोजक या कर्मचारी के द्वारा कोई अंश या हित रखता है; या
- (ङ) ऐसी किसी निगमित कंपनी का कोई निदेशक या सचिव, प्रबंधक, या अन्य वैतनिक अधिकारी है जो बोर्ड के साथ, के द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखती है।

(2) कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन इस कारण से निरर्हित नहीं होगा या उसका ऐसी किसी निगमित कंपनी में कोई अंश या हित नहीं समझा जायेगा जिसका बोर्ड के साथ,

या उसके द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है:

परन्तु यह तब जब कि ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा धारित अंशों का प्रकार और परिमाण सरकार को प्रकट कर दे।

9. बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन.- बोर्ड के समस्त आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे और बोर्ड द्वारा जारी की गयी समस्त अन्य लिखतें बोर्ड के ऐसे सदस्य या कर्मचारी, जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जायेंगी।

10. बोर्ड की बैठकें.- (1) बोर्ड की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष विनिश्चित करे, और गणपूर्ति सहित उसकी बैठक में कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन किया जायेगा जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(2) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित बोर्ड का कोई अन्य सदस्य, जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाये, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

11. बोर्ड का प्रबंध निदेशक.- (1) बोर्ड का प्रबंध निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त होगा जो संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी या जल सेक्टर में का कोई विशेषज्ञ हो। प्रबंध निदेशक, बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए बोर्ड का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और बोर्ड के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जहां बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी भी समिति की कोई कार्यवाहियां या संकल्प या अध्यक्ष का आदेश इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां प्रबंध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों को प्रकट करने के लिए विधि के सुसंगत उपबंधों को वर्णित करते हुए बोर्ड या समिति या अध्यक्ष को सलाह दे और बोर्ड या समिति की बैठक की कार्यवाहियों में

या अध्यक्ष के आदेश पर यह तथ्य अभिलिखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरान्त ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या, यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां हाथ में लेने के सात दिवस के भीतर-भीतर ऐसे मामले के संबंध में सरकार को या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को संसूचित करे।

(3) यदि प्रबंध निदेशक, उप-धारा (2) के अधीन अपने कर्तव्यों में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाहियों, संकल्प या आदेश के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा उपगत किसी भी हानि के लिए व्यक्तिशः दायी होगा और ऐसी हानि उससे वसूल की जा सकेगी।

(4) उप-धारा (2) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण का परीक्षण करने के पश्चात् सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा जो बोर्ड पर आबद्धकर होगा:

परन्तु यदि विसम्मति का टिप्पण प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर ऐसा कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तो बोर्ड, कार्यवाहियों या संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसी कार्यवाही कर सकेगा मानो विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(5) प्रबंध निदेशक या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, समस्त संकल्पों, समस्त अनुज्ञाओं, जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड, समिति या अध्यक्ष के आदेश द्वारा मंजूर किये जायें या दी जायें, अपने हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और कोई भी अनुज्ञा या आदेश तब तक वैध और विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उसे प्रबंध निदेशक या, यथास्थिति, ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा इस प्रकार अधिप्रमाणित न कर दिया गया हो।

(6) प्रबंध निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें या जो सरकार द्वारा उसे किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा न्यस्त किये जायें।

(7) बोर्ड को संबोधित या उसके लिए तात्पर्यित समस्त पत्र-व्यवहार साधारणतया प्रबंध निदेशक के नाम से भेजे जायेंगे किन्तु अध्यक्ष को भी भेजे जा सकेंगे और बोर्ड की ओर से जारी किये गये या किये गये समस्त पत्र-व्यवहार साधारणतया प्रबंध निदेशक की मुद्रा और हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और अध्यक्ष की मुद्रा और हस्ताक्षर से भी जारी किया जा सकेगा।

(8) प्रबंध निदेशक, बोर्ड के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

12. बोर्ड के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.- (1) बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह अपने कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(2) अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित की जायें।

(3) सरकार, बोर्ड के परामर्श से, किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगी।

(4) बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विशेषज्ञों और तकनीकी व्यक्तियों को भी संविदा आधार पर लगा सकेगा जैसेकि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

13. स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों या अन्य सरकारी कर्मचारियों का बोर्ड में स्थानान्तरण.- (1) सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से, जलप्रदाय और मलवहन प्रबंध के संबंध में जयपुर नगरीय क्षेत्र के भीतर कार्य कर रहे और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य सरकारी अभिकरणों के विद्यमान समस्त कर्मचारी बोर्ड में प्रतिनियुक्त हो जायेंगे। ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति प्रारम्भ में पांच वर्ष की कालावधि के लिए होगी और अपनी

प्रतिनियुक्ति के दौरान वे ऐसे पदनाम से बोर्ड के कर्मचारी समझे जायेंगे और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जैसाकि बोर्ड अवधारित करे। ऐसे कर्मचारी उसी पारिश्रमिक और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद धारित करेंगे जो यदि बोर्ड की स्थापना नहीं होती तो वे धारित करते और ऐसा करना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि बोर्ड द्वारा ऐसा पारिश्रमिक और सेवा के निबंधन और शर्तें सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जायें। पांच वर्ष की आरंभिक पदावधि की समाप्ति पर ऐसे कर्मचारियों को बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में बने रहने या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, सरकारी अभिकरण में वापस जाने का विकल्प होगा। बोर्ड में स्थानान्तरित और प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें राजस्थान सेवा नियमों और वित्त विभाग के, समय-समय पर संशोधित, परिपत्र सं. प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 7.9.2006 के अधीन शासित होंगे।

(2) बोर्ड में प्रतिनियुक्त कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(3) बोर्ड में स्थानान्तरित और प्रतिनियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बोर्ड द्वारा संदत्त किये जायेंगे।

(4) बोर्ड में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें, प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले उन पर लागू निबंधनों और शर्तों से कम हितकर नहीं होंगी और सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, उनके प्रति अहितकर रूप में परिवर्तित नहीं की जायेंगी।

14. टैरिफ समिति और परियोजना निर्माण समिति का गठन.-

(1) बोर्ड, इसके सदस्यों और बोर्ड की अधिकारिता के अधीन निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनका सरकार सुझाव दे, से मिलकर बनी एक टैरिफ समिति और एक परियोजना निर्माण समिति का गठन करेगा।

(2) टैरिफ समिति, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को समनुदेशित टैरिफ, दर, किराये, फीस और ऐसे अन्य प्रभारों का अवधारण करने में बोर्ड की सहायता करेगी। परियोजना निर्माण समिति

स्कीमों और परियोजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन में बोर्ड की सहायता करेगी।

15. अन्य समितियों का गठन.- (1) बोर्ड, ऐसे प्रयोजनों और कृत्यों के लिए, जैसेकि विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें, अन्य समितियों का गठन करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन गठित समस्त समितियों की ऐसे स्थान और ऐसे समय पर बैठक होगी, और वे अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेंगी, जैसेकि विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाये।

(3) समितियों के सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने, और समितियों का कोई अन्य कार्य करने के लिए व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति करने हेतु ऐसे भत्ते संदत्त किये जा सकेंगे, जो विहित किये जायें।

अध्याय 3

संविदा, वित्त, लेखे और संपरीक्षा

16. बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त संविदा.- (1) बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त संविदाएं निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जायेंगी, अर्थात्:-

- (क) बोर्ड के निमित्त प्रत्येक संविदा प्रबंध निदेशक द्वारा की जायेगी और वह लिखित रूप में होगी;
- (ख) ऐसे किसी भी प्रयोजन के लिए, जिसे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसार बोर्ड या सरकार के अनुमोदन या मंजूरी के बिना प्रबंध निदेशक कार्यान्वित नहीं कर सकता, उसके द्वारा कोई भी ऐसी संविदा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसा अनुमोदन प्रदान न कर दिया जाये;
- (ग) प्रबंध निदेशक, तकनीकी और प्रशासनिक प्रकृति के प्राक्कलन या संविदा सहित, किसी प्राक्कलन या

संविदा को मंजूर कर सकेगा जिसमें ऐसी रकम, जो विहित की जाये, अंतर्वलित हो; और

(घ) समस्त अन्य प्राक्कलन या संविदाएं बोर्ड द्वारा मंजूर की जायेंगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, बोर्ड द्वारा संविदा किये जाने की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

17. सरकार से वित्तीय सहायता.- (1) सरकार समय-समय पर बोर्ड को अनुदान या वित्तीय सहायता, उस रीति, जिससे ऐसे अनुदान या वित्तीय सहायता का उपयोग किया जायेगा, के बारे में निदेश सहित या उसके बिना, प्रदान कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता देने के लिए ऐसी कोई स्कीम अधिकथित कर सकेगी जिसमें ऐसे अनुदान या वित्तीय सहायता जारी किये जाने की शर्तें सम्मिलित हों।

18. बोर्ड की निधि.- (1) बोर्ड, जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड निधि के नाम से एक निधि गठित करेगा जिसमें बोर्ड द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां जमा की जायेंगी। यह निधि सर्वथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, और अन्यथा नहीं, उपयोग में ली जायेगी।

(2) ऐसे निदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, बोर्ड की प्राप्तियां और व्यय ऐसे लेखा शीर्षों में, जिनमें जलप्रदाय और मलवहन के लेखा शीर्ष सम्मिलित हैं, और अन्य लेखा शीर्षों में, जो विहित किये जायें तथा साधारण लेखा शीर्ष के अन्तर्गत ऐसी रीति से, और ऐसे प्ररूप में रखे जायेंगे, जो विहित किये जायें।

(3) उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जायेगा तथा प्राप्तियों और व्ययों की समस्त मदों को ऐसे राजस्व लेखा या, यथास्थिति, पूंजी लेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जायेगा।

19. निधि का उपयोग.- निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशियों का उपयोग इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समस्त राशियों, प्रभारों और लागतों के संदाय के लिए और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य

विधि के अधीन निधि में से संदेय समस्त राशियों के संदाय के लिए किया जायेगा।

20. लोक हित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए निधि में से अस्थायी संदाय.- (1) सरकार द्वारा लिखित में अध्यपेक्षा किये जाने पर बोर्ड, किसी भी समय, प्रबंध निदेशक से ऐसे किसी कार्य के निष्पादन का जिम्मा लेने की, जिसे सरकार ने लोक हित में तत्काल अपेक्षित संकर्म के रूप में प्रमाणित किया हो, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कार्य के लिए निधि में से संदाय करने की, जहां तक कि ऐसा संदाय बोर्ड के नियमित कार्य में किसी अनुचित हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, अपेक्षा कर सकेगा।

(2) इस प्रकार निष्पादित समस्त कार्य की लागत और ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए आनुपातिक स्थापन प्रभार सरकार द्वारा संदत्त किये जायेंगे और निधि में जमा किये जायेंगे।

21. बोर्ड की सीमाओं से परे व्यय उपगत करने की शक्ति.- इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, बोर्ड, सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए भौतिक आस्तियों का सृजन करने और उनका रखरखाव करने के लिए जयपुर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं से परे उपगत किये जाने वाले व्यय को प्राधिकृत कर सकेगा।

22. विशिष्ट प्रयोजन के लिए निधि का अनन्य उपयोग.- इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, सरकार, आदेश द्वारा, बोर्ड से, निधि के किसी विशिष्ट भाग को, या किसी विशिष्ट अनुदान या उसके किसी भाग को, या किसी लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्त की किसी मद या उसके किसी प्रतिशत को, या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को समनुदेशित टैरिफ, दर, किराये, फीस और ऐसे अन्य प्रभारों से भिन्न, बोर्ड द्वारा प्राप्य रकम के किसी अंश या उसके किसी भाग को, उन कृत्यों से संबंधित ऐसे प्रयोजन के लिए, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, अनन्य रूप से उपयोग में लिये जाने के लिए चिह्नित करने की अपेक्षा कर सकेगी और तदनुसार कार्य करना बोर्ड का कर्तव्य होगा।

23. लेखाओं का प्रचालन.- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निधि में से संदाय ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।

24. अधिशेष धनराशियों का विनिधान.- (1) निधि के लेखा शीर्षों में से किसी में जमा अधिशेष धनराशियां, जिनकी बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या तो तुरन्त ही या शीघ्र उपयोग में लिये जाने की आवश्यकता नहीं हो, सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा निधि के किसी अन्य लेखा शीर्ष में, या तो पूर्णतः या भागतः, अंतरित की जा सकेंगी।

(2) ऐसी अधिशेष धनराशियां, जिनको उप-धारा (1) के अधीन अंतरित नहीं किया जाता है, उनका विनिधान सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियों या लघु बचत स्कीमों में किया जा सकेगा या ऐसे अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाये, ब्याज पर जमा करायी जा सकेंगी।

25. बोर्ड का बजट प्राक्कलन तैयार करना.- बजट प्राक्कलन प्रबंध निदेशक द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जैसाकि विहित किया जाये, तैयार किया जायेगा और बोर्ड को प्रस्तुत किया जायेगा।

26. बोर्ड के बजट प्राक्कलन की मंजूरी.- बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में बजट प्राक्कलन पर विचार करेगा और ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगा और उसकी प्रति सरकार को प्रस्तुत करेगा और यदि, बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात् सरकार की यह राय हो कि बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन करना बोर्ड के हित में आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिए बोर्ड को निदिष्ट कर सकेगी और ऐसे निदेश बोर्ड पर आबद्धकर होंगे।

27. बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति.- बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर-

(क) किसी भी शीर्ष के अधीन किसी बजट अनुदान की रकम को बढ़ा सकेगा;

- (ख) उक्त वर्ष के दौरान होने वाली किसी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगा;
- (ग) किसी एक शीर्ष के अधीन किसी बजट अनुदान की रकम या उसके भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में अंतरित कर सकेगा; या
- (घ) किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा सकेगा।

28. बोर्ड की उधार लेने की शक्ति.- बोर्ड, सरकार की पूर्व मंजूरी से और इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई राशि उधारों या डिबेंचरों या बंधपत्रों या ऐसी अन्य लिखतों के माध्यम से समय-समय पर उधार ले सकेगा, जो वह ठीक समझे। ऐसी समस्त लिखतें, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, जारी, अंतरित, बरती और मोचित की जायेंगी।

29. उधार की प्रत्याभूति.- सरकार, इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन बोर्ड द्वारा लिये जाने के लिए प्रस्तावित किसी उधार के मूल या ब्याज या दोनों के संदाय की प्रत्याभूति दे सकेगी।

30. अवक्षयण आरक्षित निधि.- बोर्ड एक अवक्षयण आरक्षित निधि सृजित करेगा और उसके लिए, ऐसे सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक उपबंध करेगा, जो विहित किये जायें।

31. सुधार आरक्षित निधि.- बोर्ड सुधार संकर्मों के लिए एक आरक्षित निधि सृजित करेगा और उसका उपयोग ऐसे सिद्धांतों के अनुसार करेगा, जो विहित किये जायें।

32. लेखे और संपरीक्षा.- (1) बोर्ड ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से लेखे रखेगा, जो विहित की जाये।

(2) बोर्ड के लेखे राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा संपरीक्षा के अध्यक्षीन होंगे।

(3) बोर्ड, संपरीक्षा के लिए निधि में से ऐसे प्रभारों का संदाय करेगा जो विहित किये जायें।

33. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पूर्व वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे चालू वर्ष में 30 सितम्बर से पूर्व सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) सरकार, लेखाओं के कथन को सम्मिलित करते हुए ऐसी वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 4

बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य

34. बोर्ड की शक्तियां.- (1) बोर्ड को, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी कोई भी बात करने की शक्तियां होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन उसकी अधिकारिता के भीतर-भीतर उसके कर्तव्यों के पालन और कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

(2) बोर्ड को, पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) जलप्रदाय और मलवहन प्रणाली के विकास और प्रबंध के लिए स्कीमें और परियोजनाएं तैयार करना, उनकी योजना बनाना, निष्पादित करना, प्रोन्नत करना और उनका वित्तपोषण करना;

(ख) ऐसी भूमि अर्जित करना और जंगम और स्थावर संपत्ति धारित करना, जो वह आवश्यक समझे और विहित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, किसी ऐसी संपत्ति को पट्टे पर देना, विक्रय करना या अन्यथा अंतरित करना;

- (ग) विहित रीति से जल निकालना, उसका शोधन, प्रदाय और वितरण करना और जहां आवश्यक हो वहां, विहित मानकों के अनुसार पुनः चक्रित जल का शोधन, प्रदाय और वितरण करना;
- (घ) मुख्य पाइप, सर्विस पाइप और संवहन पाइप बिछाना और विहित रीति से अग्नि हार्डड्रेन्ट, स्टापकाक, जल के मीटर इत्यादि के लिए व्यवस्था करना;
- (ङ) समस्त जलप्रदाय और मलवहन प्रणालियों का निरीक्षण करना;
- (च) जलप्रदाय के लिए संनिर्माण, प्रचालन, रखरखाव, प्रदाय और विनियमन करना और इस संबंध में किसी भी स्थावर संपत्ति, चाहे जयपुर नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर हो या बाहर, में विहित रीति से उपयोक्ता अधिकार अर्जित करके उक्त संपत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ या उसमें होकर प्रदाय पाइप, नलिकाएं और मुख्य पाइप लाइनें या पाइप बिछाना और उनका रखरखाव करना;
- (छ) मलवहन प्रणालियों का संनिर्माण, प्रचालन, रखरखाव और विनियमन करना और इस संबंध में, मलनालियां और मल शोधन संकर्म बिछाना, सर्विस पाइप बिछाना, निजी नालियों के उपयोग को बंद या सीमित करना या किसी स्थावर संपत्ति, चाहे वह जयपुर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर हो या बाहर, में विहित रीति से उपयोक्ता अधिकार अर्जित करके ऐसी संपत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ या उसमें होकर मलनालियां और मल शोधन संकर्म बिछा सकेगा या उनका रखरखाव कर सकेगा या सन्निर्माण कर सकेगा;
- (ज) अशोधित जल, भू-जल को निकालने के लिए, और शोधित बेकार जल के प्रदाय के लिए, विहित रीति से,

योजना बनाना, उसके उपयोग को विनियमित करना और उसके लिए प्रबंध करना;

- (झ) सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, निगम, किसी अन्य सरकारी संस्था को, और अनुरोध किये जाने पर निजी संस्थाओं और व्यक्तियों को, जलप्रदाय और मलवहन प्रबंध के संबंध में समस्त आवश्यक सेवाएं प्रदान करना;
- (ञ) इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए, उसकी अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाले स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य अभिकरणों से ऐसे किन्हीं भी आंकड़ों या सूचनाओं की मांग करना, जो आवश्यक समझी जायें;
- (ट) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदत्त जलप्रदाय और मलवहन सेवाओं और समस्त अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए टैरिफ, दर, किराये, फीस और ऐसे अन्य प्रभार समय-समय पर निर्धारित, नियत और पुनरीक्षित करना; और उक्त टैरिफ, दर, किराये, फीस और ऐसे अन्य प्रभार सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियत किये जायेंगे;
- (ठ) प्रदत्त सेवाओं के लिए टैरिफ, दर, किराये, फीस और ऐसे अन्य प्रभार उद्गृहीत और विनियोजित करना;
- (ड) इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों और कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए संविदा करना;
- (ढ) वार्षिक बजट तैयार करना, उस पर विचार करना और अनुमोदन करना और उसे सरकार को प्रस्तुत करना;
- (ण) धन उधार लेना, डिबेंचर जारी करना, आर्थिक सहायता, पूंजी अंशदान, उधार और अनुदान इत्यादि प्राप्त करना;
- (त) ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को उधार और अग्रिम मंजूर करना, जिनको बोर्ड अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझें;

- (थ) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित दान और अनुदान स्वीकार करना;
- (द) किसी आपात परिस्थिति जैसेकि सूखा, जल की कमी, पम्प की खराबी या बिजली की खराबी या जल की गुणवत्ता की समस्या इत्यादि के दौरान किसी सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, संस्था या व्यष्टि को बल्क जल वहन उपलब्ध कराना;
- (ध) जलप्रदाय और मलवहन सेवाओं में लगे हुए अपने स्वयं के कार्मिकों या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
- (न) जलप्रदाय और मलवहन सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की परियोजना के निष्पादन के लिए किसी व्यष्टि, कंपनी, फर्म, सोसाइटी, न्यास या किसी सरकारी अभिकरण या किसी भी अन्य अभिकरण के साथ विहित रीति से लोक निजी भागीदारी के आधार पर कोई करार करना, ऐसी सेवाओं के लिए उपयोक्ता प्रभार संगृहीत करना और प्रतिधारित करना;
- (प) जब कभी सरकार द्वारा निदेशित किया जाये, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और ऐसी कालावधि के लिए, जैसाकि विनिर्दिष्ट किया जाये, जल संकर्म और मलवहन प्रणाली स्थापित करना, संचालित करना, प्रचालित करना और उनका रखरखाव करना; और
- (फ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो बोर्ड को इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन प्रदत्त की जायें।

35. बोर्ड के कृत्य और कर्तव्य.- (1) बोर्ड, जयपुर नगरीय क्षेत्र में जलप्रदाय उपलब्ध कराने और विद्यमान जलप्रदाय में सुधार करने और मलवहन प्रबंध और निस्तारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था के साधारण कर्तव्य से भारित होगा और ऐसे कर्तव्य के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) जयपुर नगरीय क्षेत्र में, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) या भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से अवधारित मानकों या जलप्रदाय प्रणालियों की योजना, डिजाइन, संनिर्माण, रखरखाव, प्रचालन और प्रबंध को सम्मिलित करते हुए, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नियत मानकों के अनुसार स्वास्थ्यप्रद जल का प्रदाय करना;
- (ख) जयपुर नगरीय क्षेत्र में शोधित बेकार जल के प्रदाय और सुरक्षित निस्तारण को सम्मिलित करते हुए, समस्त मलवहन और मल शोधन संकर्मों की योजना, डिजाइनिंग, संनिर्माण, रखरखाव, संचालन और प्रबंध सहित मलवहन, मल निस्तारण और मल शोधन की व्यवस्था करना;
- (ग) सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकारी की पहल पर या स्व-प्रेरणा से ऐसी स्कीमों की प्रकृति और प्रकारों का अन्वेषण करना, जो जयपुर नगरीय क्षेत्र के भीतर-भीतर पेयजल या मलवहन प्रणालियों की व्यवस्था के लिए क्रियान्वित की जा सकें और ऐसी स्कीमें तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
- (घ) जलप्रदाय और मलवहन प्रणालियों के लिए स्कीमों का प्राक्कलन करना, वित्तपोषण करना, डिजाइन बनाना, संनिर्माण करना, उसमें फेरफार करना, मरम्मत, प्रचालन और रखरखाव करना;
- (ङ) पेयजल से भिन्न प्रयोजनों के लिए तात्पर्यित बिना छाने हुए जल के लिए उपबंध करना;
- (च) जल के संपरिवर्तन, पुनःचक्रित करने या पुनः उपयोग को प्रोन्नत करना;

- (छ) मीटरों की व्यवस्था करना और मीटर पठन, बिलिंग और राजस्व संग्रहण जैसी सेवाएं कार्यान्वित करना;
- (ज) सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस धारा में निर्दिष्ट इसके कृत्यों में से किसी भी कृत्य को किसी स्थानीय प्राधिकारी, अनुसंधान संस्थान, सरकारी उपक्रम, लिमिटेड कंपनी, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, न्यास, भागीदारी फर्म, स्वत्वधारी फर्म या ऐसी अन्य विधिक संस्था को न्यस्त करना;
- (झ) जलप्रदाय और मलवहन प्रणालियों के निष्पादन और रखरखाव के संबंध में किसी अभिकरण को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना या सलाह देना;
- (ञ) जलप्रदाय और मलवहन प्रणालियों के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक और अन्य पहलुओं को प्रतिवर्ष पुनरीक्षित करना; और
- (ट) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आवश्यक या सहायक हों।

अध्याय 5

जलप्रदाय

36. घरेलू प्रयोजन के लिए जलप्रदाय में कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किसी जलप्रदाय का सम्मिलित नहीं किया जाना.- इस अधिनियम के अधीन घरेलू प्रयोजन के लिए जलप्रदाय में वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई भी प्रदाय सम्मिलित नहीं समझा जायेगा और विशिष्ट रूप से इसमें निम्नलिखित प्रदाय सम्मिलित नहीं होगा-

- (क) किसी भी व्यापार, विनिर्माण या कारबार के लिए;
- (ख) उद्यानों के लिए या सिंचाई के प्रयोजन के लिए;
- (ग) भवन निर्माण करने के प्रयोजनों के लिए;
- (घ) फव्वारों, तरणतालों, लोक स्नानों या टैंकों या अन्य किसी भी अलंकारिक या यांत्रिक प्रयोजनों के लिए;

- (ड) पशुओं के लिए, जहां उन्हें विक्रय या भाड़े पर देने के लिए या उनके उत्पादों के विक्रय के लिए या उनसे किसी निर्मिती के लिए रखा जाता है;
- (च) होटलों, वाणिज्यिक बोर्डिंग हाउसों और आवासीय क्लबों में निवासियों के उपभोग और उपयोग के लिए;
- (छ) थियेटर्स और सिनेमाओं में आने वाले व्यक्तियों द्वारा उपभोग और उपयोग के लिए;
- (ज) संनिर्माण के लिए या मार्गों में पानी देने के लिए; या
- (झ) वाहनों की धुलाई के लिए, जहां उन्हें विक्रय या भाड़े पर देने के लिए रखा जाता है; किन्तु इसमें निम्नलिखित को प्रदाय में सम्मिलित समझा जायेगा-
- (I) शौचालयों और नालियों को साफ करने के लिए; और
- (II) तरणतालों और लोक स्नानों से भिन्न समस्त स्नानों के लिए।

37. घरेलू प्रयोजन के लिए जलप्रदाय का गैर-घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना.- कोई भी व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय या ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जायें, घरेलू प्रयोजन के लिए जलप्रदाय का घरेलू प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

38. गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए जलप्रदाय.- बोर्ड का कोई प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये विनियमों से संगत हों, घरेलू प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जलप्रदाय कर सकेगा।

39. लोक जलप्रदाय प्रणाली उपलब्ध कराना.- (1) बोर्ड, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रभारों के संदाय के अध्यक्षीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें, जयपुर नगरीय क्षेत्र के भीतर-भीतर स्वास्थ्यप्रद जल का आनुग्रहिक प्रदाय उपलब्ध करा सकेगा और उस प्रयोजन के लिए लोक स्थान चौकियां या अन्य साधन परिनिर्मित कर सकेगा।

(2) उपरोक्त उप-धारा (1) के अधीन उपलब्ध करायी गयी ऐसी कोई लोक स्थान चौकियां या अन्य साधन, बोर्ड द्वारा, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के परामर्श से बंद किये जा सकेंगे, यदि जनता के लिए स्वास्थ्यप्रद जल के प्रदाय के प्रयोजन के लिए ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रहे।

40. जलप्रदाय बंद करने की शक्ति.- (1) बोर्ड, साधारण जनता के लिए उपलब्ध कराये गये जलप्रदाय के सिवाय, किसी भी परिसर में जलप्रदाय बंद कर सकेगा,-

- (क) यदि स्वामी या अधिभोगी, जलप्रदाय के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किसी विधिपूर्ण आदेश या अध्यक्षता का पालन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर करने में उपेक्षा करता है;
- (ख) यदि जलप्रदाय के लिए या कनेक्शन करने के खर्च के लिए या मीटर के भाड़े के लिए या जलप्रदाय से संबंधित किसी कार्य या परीक्षण को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी कोई फीस, किराया, प्रभार या कोई अन्य राशि बकाया है, जो कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी भी व्यक्ति से प्रभार्य है तो ऐसी फीस, किराया, प्रभार या राशियां बिल प्रस्तुत किये जाने या दिये जाने के पश्चात् पंद्रह दिवस के भीतर-भीतर संदत्त नहीं की जाती है;
- (ग) यदि, स्वामी या अधिभोगी बोर्ड से उसको ऐसा करने से विरत रहने का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात्, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में जल का उपयोग करना जारी रखता है या उपयोग किया जाना अनुज्ञात करता है;
- (घ) यदि, स्वामी या अधिभोगी जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक मीटर या जल वहन करने वाले किसी पाइप या नल को नुकसान पहुंचाता है;
- (ङ) यदि स्वामी या अधिभोगी, बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति को उस परिसर में

जिसमें उसने जलप्रदाय से संबंधित किसी भी कार्य को करने या किसी साधित्र को रखने या हटाने या कोई परीक्षा या जांच करने के प्रयोजन के लिए, प्रवेश करने का प्रस्ताव किया है, प्रवेश देने से इंकार करता है, या ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से या ऐसा साधित्र रखने या हटाने से या ऐसी परीक्षा या जांच करने से रोकता है;

- (च) यदि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा परीक्षा करने पर, जलप्रदाय से संबंधित कोई जल फिटिंग इस सीमा तक खराब है जो जल को व्यर्थ और संदूषित करे;
- (छ) यदि, स्वामी या अधिभोगी इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए, जलप्रदाय से संबंधित पाइपों, नलों, संकर्म या फिटिंग को रखवाता है, हटवाता है, उनकी मरम्मत करवाता है या उसमें अन्यथा हस्तक्षेप करवाता है; और
- (ज) यदि उपभोक्ता राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार अपने परिसर से उपभुक्त जल का समुचित निस्तारण या शोधन उपलब्ध कराने में विफल रहता है:

परन्तु बोर्ड, जलप्रदाय के संदूषण से अंतर्वलित मामलों में, जहां कि ऐसा कोई नोटिस दिया जाना आवश्यक न हो, के सिवाय, जलप्रदाय तब तक बंद नहीं करेगा जब तक कि स्वामी या अधिभोगी को कम से कम तीन दिवस का नोटिस न दे दिया गया हो।

(2) (क) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट समस्त राशियों के संदाय के लिए परिसर का स्वामी और अधिभोगी संयुक्ततः और पृथकतः दायी होगा।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट राशियां परिसर पर प्रभार होंगी।

(3) प्रदाय बंद करने के खर्चे परिसर के स्वामी और अधिभोगी द्वारा संयुक्ततः और पृथकतः संदेय होंगे।

(4) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी मामले में, प्रदाय बंद करने के खर्चे सहित, उस पर उद्गृहीत किसी भी शास्ति को सम्मिलित करते हुए, कोई धन, जिसके असंदाय पर जल का प्रदाय बंद किया गया है, जैसे ही स्वामी या अधिभोगी द्वारा संदत्त कर दिया जाये तो बोर्ड, परिसर को जल संकर्म से पुनः जोड़ने की लागत का संदाय करने पर पूर्व की भांति जलप्रदाय करायेगा।

(5) इस धारा के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध की गयी कार्रवाई ऐसी किन्हीं भी शास्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जिनके लिए वह अन्यथा दायी हो।

अध्याय 6

मलनालियां और मलवहन प्रबंध

41. कतिपय पदार्थों का बोर्ड मलनालियों और मल शोधन संकर्म में न बहाया जाना.- (1) औद्योगिक बहिःस्राव और अन्य आपत्तिजनक बहिःस्राव के निस्सारण और निस्तारण से संबधित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति, किसी बोर्ड मलनाली में ऐसे किसी भी पदार्थ को न फेंकेगा, न खाली करेगा या उसका प्रवाह उसमें नहीं मोड़ेगा, जो इसकी अंतर्वस्तु के मुक्त प्रवाह में नुकसान पहुंचाता हो या उसमें हस्तक्षेप कारित करता हो या जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो।

(2) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड मलनाली या बोर्ड मलनाली से जुड़ी हुई किसी निजी मलनाली या नाली से मल या बहिःस्राव, बोर्ड मलनाली या उसके किसी भाग से उत्सारित, निस्सारित

होकर, चू कर, रिस कर या अन्यथा निकल कर पाइप द्वारा किये गये किसी जलप्रदाय, कुएं से जलप्रदाय, किसी जल-मार्ग, भू-जल या सतही जल में न आ पाये, जिससे कि स्वास्थ्य या पर्यावरण को कोई खतरा हो।

42. मलनालियों और मल निस्तारण संकर्म का संनिर्माण और रखरखाव.- बोर्ड, सभी बोर्ड मलनालियों और मल निस्तारण संकर्म का रखरखाव और ठीक हालत में रखेगा और इतनी नयी नालियों और मल निस्तारण संकर्म का संनिर्माण करेगा, जितने समय-समय पर उसकी अधिकारिता के भीतर प्रभावी मलवहन और मल निस्तारण के लिए आवश्यक हों।

43. बोर्ड की मलवहन प्रणाली के उपयोग के प्रति प्रभार.- बोर्ड द्वारा जिम्मा लिए गये मलवहन और मल शोधन संकर्म की पूंजी लागत को चुकाने और समय-समय पर मलवहन प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव के लिए, घरेलू और गैर-घरेलू परिसर दोनों का प्रत्येक अधिभोगी बोर्ड को ऐसी दरों पर, जो विहित की जायें, प्रभार संदत्त करेगा:

परन्तु ऐसा कोई भी प्रभार ऐसे क्षेत्रों में स्थित किसी परिसर पर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा जिसमें बोर्ड की मलवहन प्रणाली नहीं है।

44. स्वामी या अधिभोगी का मलनाली कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार.- किसी भी परिसर का स्वामी या अधिभोगी परिसर के मल को बोर्ड मलनाली में खाली करने का हकदार होगा:

परन्तु ऐसा करने से पूर्व वह-

(क) बोर्ड की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा और ऐसी कनेक्शन फीस और अन्य प्रभारों का, जो विहित किये जायें, संदाय करेगा;

(ख) ऐसी शर्तों का पालन करेगा, जो विहित की जायें।

45. नाली रहित परिसर के संबंध में जल-निकास.- जहां कोई परिसर, बोर्ड की राय में, प्रभावी जल-निकास के पर्याप्त साधनों से रहित है और कोई बोर्ड मलनाली या गंदगी तथा अन्य प्रदूषित और घृणित पदार्थों के निस्सारण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थान उक्त परिसर के किसी भी भाग से पैंतीस मीटर से अनधिक की दूरी पर स्थित है तो बोर्ड, लिखित नोटिस द्वारा, उक्त परिसर के स्वामी से अपेक्षा कर

सकेगा कि वह मलनाली कनेक्शन प्राप्त करे और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो बोर्ड, ऐसा कनेक्शन करवा सकेगा और स्वामी, बोर्ड द्वारा उपगत प्रभारों को संदत्त करने के लिए दायी होगा।

46. नालियों या मलनालियों के बिना नये परिसर का परिनिर्माण नहीं किया जाना.- (1) ऐसे किसी परिसर का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या ऐसे परिसर का अधिभोग किया जाना जिसका कोई भाग बोर्ड मलनाली से पैंतीस मीटर की दूरी के भीतर-भीतर स्थित हो, तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक कि उक्त परिसर से गंदगी और अन्य प्रदूषित और घृणित पदार्थ एकत्रित करने या संग्रहण करने और उसे दूर ले जाने के लिए आवश्यक कोई नाली या मलनाली उक्त परिसर की नाली के प्रभावी फ्लशिंग के लिए बोर्ड के समाधानप्रद रूप में संनिर्मित न कर दी गयी हो।

(2) इस प्रकार संनिर्मित नाली बोर्ड मलनाली में खाली की जायेगी।

47. संयुक्त संक्रियाओं द्वारा परिसरों के समूह या ब्लॉक में से जल-निकास करने की शक्ति.- यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि परिसरों के किसी समूह या ब्लॉक में से जल-निकास पृथक् रूप से करने के बजाय संयुक्त रूप से करना अधिक किफायती या लाभप्रद हो सकेगा, और परिसरों के उस समूह या ब्लॉक के किसी भी भाग से पैंतीस मीटर के भीतर-भीतर पर्याप्त आकार की कोई बोर्ड मलनाली पहले से ही विद्यमान है या संनिर्मित की जानी है तो बोर्ड, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, संयुक्त संक्रिया द्वारा परिसरों के उस समूह या ब्लॉक में से जल-निकास करवा सकेगा।

48. कतिपय मामलों में निजी नालियों के उपयोग को बंद या सीमित करने की बोर्ड की शक्ति.- जहां बोर्ड की राय में, बोर्ड मलनाली से किसी परिसर को जोड़ने वाली नाली जयपुर नगरीय क्षेत्र में मलवहन की सामान्य प्रणाली के अनुरूप नहीं बनायी गयी है तो वह, परिसर के स्वामी को संबोधित करते हुए, लिखित नोटिस द्वारा ऐसी नाली को बंद किये जाने, रोकने या नष्ट किये जाने का निदेश दे सकेगा। ऐसे मामलों में बोर्ड, अपने स्वयं के खर्च पर उस परिसर के जल-निकास के लिए

समान रूप से प्रभावी और बोर्ड की किसी मलनाली से मिलने वाली दूसरी नाली उपलब्ध करवायेगा।

49. मल और वर्षा जल की नालियों का अलग-अलग होना.- इस अधिनियम में जब कभी यह उपबंधित किया जाये कि किसी परिसर के प्रभावी जल-निकास के लिए कदम उठाये जायेंगे या उठाये जायें तो बोर्ड यह अपेक्षा करने के लिए सक्षम होगा कि गंदगी और प्रदूषित जल के लिए एक नाली होगी और वर्षा जल तथा अदूषित अधोमृदा जल के लिए या वर्षा जल और अदूषित अधोमृदा जल दोनों के लिए पूर्णतया अलग-अलग नाली होगी, प्रत्येक नाली पृथक् बोर्ड मलनाली में या अन्य यथोचित स्थानों में खाली की जायेंगी।

50. मलनालियों और मल शोधन संकर्म से अनुज्ञा के बिना कनेक्शन नहीं किया जाना.- कोई भी व्यक्ति या, यथास्थिति, कोई स्थानीय प्राधिकारी, किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे जो कुछ भी हो, बोर्ड या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के सिवाय और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जैसी उसके लिए विहित की जायें, किसी भी समय मलवाही या मल शोधन संकर्म से कोई कनेक्शन या सम्पर्क नहीं करेगा या नहीं करवायेगा।

51. बोर्ड की मलवहन लाइन या मल शोधन संकर्म के ऊपर भवनों और निजी मार्गों का परिनिर्माण या संनिर्माण नहीं किया जाना.- बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना, बोर्ड की किसी मलवहन लाइन या मल शोधन संकर्म के ऊपर कोई भी निजी मार्ग या भवन या दीवार या बाड़ या अन्य ढांचा परिनिर्मित या संनिर्मित नहीं किया जायेगा। इस धारा का कोई उल्लंघन बोर्ड को, ऐसा परिनिर्माण या संनिर्माण हटाने या अन्यथा व्यवहार करने का, जैसा वह ठीक समझे, और उससे संबंधित खर्चे निजी मार्ग के या भवन या दीवार या, यथास्थिति, अन्य ढांचे के स्वामी से वसूल करने का हकदार बनायेगा।

52. मलनाली या मलकूप के संवातन के लिए शाफ्ट इत्यादि लगाने की शक्ति.- किसी मलनाली या मलकूप चाहे बोर्ड में निहित हो या न हो, में संवातन के प्रयोजन लिए बोर्ड, इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार ऐसी कोई शाफ्ट या पाइप, जैसाकि उसे आवश्यक

प्रतीत हो, किसी परिसर के ऊपर परिनिर्मित कर सकेगा या किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकेगा।

53. त्रुटिपूर्ण होने का विश्वास किये जाने पर मलनालियों इत्यादि की परीक्षा और परीक्षण करने की शक्ति.- (1) जहां बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि कोई निजी मलनाली या मलकूप ऐसी स्थिति में है जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल है या कोई न्यूसेंस है या कि बोर्ड मलनाली से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जुड़ी हुई कोई निजी मलनाली इस प्रकार त्रुटियुक्त है कि अधोमृदा जल में मिल जाती है, वहां बोर्ड इसकी दशा की परीक्षा कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए जल के दबाव द्वारा परीक्षण से भिन्न कोई अन्य परीक्षण कर सकेगा और यदि यह आवश्यक समझे, भूमि की खुदाई कर सकेगा।

(2) यदि परीक्षण किये जाने पर, मलनाली या मलकूप ठीक दशा में पाया जाता है तो बोर्ड यथाशक्य शीघ्र, किसी भूमि को, जिसकी उसके द्वारा खुदाई की गयी है, पुनः पूर्व स्थिति में लायेगा और उसके द्वारा किये गये नुकसान की पूर्ति करेगा।

54. टैंकों, तालाबों और कुओं को विसंक्रमित करने की शक्ति.- बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक किसी स्वामी या अधिभोगी, यदि कोई हो, को नोटिस देने के पश्चात्, किसी टैंक, तालाब या कुएं को तब साफ या विसंक्रमित करवा सकेगा जब उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसी सफाई या विसंक्रामण किसी खतरनाक रोग को फैलने से निवारित करेगा या रोकेगा, सफाई या विसंक्रामण की लागत बोर्ड द्वारा ऐसे टैंक, तालाब या कुएं के स्वामी या अधिभोगी से वसूलीय होगी।

अध्याय 7

बोर्ड को आस्तियों और दायित्वों का अंतरण

55. स्थानीय प्राधिकारियों की आस्तियों और दायित्वों का बोर्ड को अंतरण.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, स्थानीय प्राधिकारियों की समस्त आस्तियां, दायित्व और निधियां,

यदि कोई हों, ऐसी तारीख से, जो अधिसूचित की जाये, बोर्ड को अंतरित, और उसमें निहित होंगी।

(2) जहां जयपुर नगरीय क्षेत्र के बाहर अवस्थित कोई जल संकर्म का उपयोग भागतः उस क्षेत्र के लिए जलप्रदाय के प्रयोजन के लिए और भागतः अन्य क्षेत्रों या प्रयोजनों के लिए किया जाता है वहां, बोर्ड और सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन मास के अपश्चात्, ऐसे संकर्म, उस क्षेत्र के लिए प्रदाय किये जाने वाले जल की गुणवत्ता और मात्रा और उससे संसक्त अन्य मामलों पर बोर्ड के नियंत्रण की प्रकृति और सीमा को विनिर्दिष्ट करते हुए करार करेगी; परन्तु ऐसे करार की अनुपस्थिति में या उस समय तक जिस तक कि ऐसा करार होता है, सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान इंतजामों और संकर्म को चालू रखने और बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(3) बोर्ड को अंतरित आस्तियों में जयपुर नगरीय क्षेत्र में या उसके बाहर अवस्थित, चल रहे समस्त संकर्म और समस्त जल संकर्म और मलवाही संकर्म और उपर्युक्त सेवाओं से संबंधित संकर्म सम्मिलित होंगे।

56. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा बोर्ड को सूचना देना.- बोर्ड की स्थापना के तीस दिवस के भीतर-भीतर, स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड को निम्नलिखित सूचना देंगे, अर्थात्:-

- (क) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को अंतरित समस्त आस्तियों और दायित्वों का विवरण और उनके ब्यौरे;
- (ख) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जिम्मे ली गयीं और जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को अंतरित की जायें, ऐसी संविदाओं, परियोजनाओं, स्कीमों के बारे में ब्यौरे; और
- (ग) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को अंतरित किन्हीं आस्तियों या दायित्वों के संबंध में उनके विरुद्ध या द्वारा और बोर्ड की स्थापना की तारीख को लंबित विधिक कार्यवाहियों के बारे में विशिष्टियां।

57. बोर्ड को संपत्ति या आस्तियों के परिदान का दायित्व.- जहां कोई संपत्ति या आस्तियां धारा 55 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड को अंतरित और उसमें निहित की गयी हैं, वहां-

- (क) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसी कोई संपत्ति या आस्तियां हों, बोर्ड को संपत्ति या आस्तियां तत्काल परिदत्त करेगा;
- (ख) कोई व्यक्ति जो, अधिसूचित तारीख को, धारा 55 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट जलप्रदाय और मलवहन प्रणालियों से संबंधित कोई कागज, पुस्तकें, दस्तावेज, रजिस्टर, अभिलेख या अन्य संपत्ति, चाहे किसी भी प्रकृति की हो, अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखता है, बोर्ड को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे बोर्ड निदेशित करे, परिदत्त करने के दायित्वाधीन होगा।

58. विद्यमान संविदाओं, विधिक कार्यवाहियों, अधिसूचनाओं, आदेशों इत्यादि का जारी रहना.- (1) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचना, किये गये आदेश, बनायी गयी स्कीम, बनाये गये नियम, प्ररूप या जारी किये गये नोटिस और मंजूर किया गया कोई अनुज्ञा-पत्र या अनुज्ञा, जो जहां तक वह जयपुर नगरीय क्षेत्र में या उसके प्रयोजन के लिए जलप्रदाय या मलवहन सेवा से संबंधित है, लगातार प्रवृत्त रहेंगे और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किये गये, किये गये, बनाये गये या मंजूर किये गये समझे जायेंगे, जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना, बनायी गयी किसी स्कीम, किये गये किसी आदेश, बनाये गये नियम, विनियम, प्ररूप या जारी किये गये नोटिस या मंजूर किये गये किसी अनुज्ञा-पत्र या अनुज्ञा द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाये।

(2) जयपुर नगरीय क्षेत्र में या उसके प्रयोजन के लिए जलप्रदाय या मलवहन सेवा के संबंध में अधिसूचित तारीख के पूर्व, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, उनके साथ, या उनके लिए उपगत समस्त बाध्यताएं और दायित्व, की गयी समस्त संविदाएं, वचनबंध किये गये समस्त

मामले और बातें बोर्ड द्वारा, उसके साथ, या उसके लिए, उपगत, की गयी या वचनबंध की गयी समझी जायेंगी।

(3) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थित किसी भी प्रकृति के समस्त वाद, अभियोजन, अपीलें या अन्य विधिक कार्यवाहियां, जो संस्थित की गयी हों या की जा सकती हों, जहां तक कि वे बोर्ड को धारा 55 के अधीन अंतरित आस्तियों और दायित्वों से संबंधित हों, बोर्ड के द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या संस्थित की जा सकेंगी।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

59. जल की बरबादी या दुरुपयोग.- (1) ऐसा परिसर जिसको बोर्ड द्वारा जलप्रदाय किया जाता है, का कोई भी स्वामी या अधिभोगी जल की बरबादी या उसका दुरुपयोग नहीं करवायेगा या नहीं होने देगा या सर्विस पाइप या किसी नल या अन्य फिटिंग या उससे संबंधित संकर्म को इस तरह खराब नहीं होने देगा, जिससे जल की बरबादी कारित हो।

(2) जब कभी बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि सर्विस पाइप या नल या अन्य जल फिटिंग या उससे संबंधित संकर्म में खराबी के परिणामस्वरूप जल बर्बाद हो रहा है तो बोर्ड, रिटर्न नोटिस द्वारा, उपभोक्ता से ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, उस खराबी की मरम्मत करने और उसे सही करवाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) यदि ऐसी मरम्मत विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर नहीं की जाती है तो बोर्ड, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मरम्मत करवायेगा। ऐसी मरम्मत का खर्चा उपभोक्ता से वसूल किया जायेगा।

(4) जो कोई भी, जल की बरबादी या दुरुपयोग जारी रखता है वह दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं

होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

60. घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रदाय किये गये जल का गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग.- जो कोई, घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रदाय किये गये जल का गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है या उपयोग किया जाना अनुज्ञात करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

61. बोर्ड मलनाली या बोर्ड मलनालियों से जुड़ने वाली मलनालियों की अंतर्वस्तु के मुक्त प्रवाह को नुकसान या हस्तक्षेप पहुंचाना.- जो कोई धारा 41 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

62. लिखित अनुज्ञा के बिना बोर्ड मलनालियों से कनेक्शन.- जो कोई धारा 50 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

63. लिखित अनुज्ञा के बिना निजी नाली का बोर्ड मलनालियों से कनेक्शन नहीं किया जाना.- जो कोई धारा 44 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

64. बोर्ड की मलवहन लाइन या मल शोधन संकर्म के ऊपर भवनों या निजी मार्गों का परिनिर्माण या संनिर्माण.- जो कोई धारा 51 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा

या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

65. किसी पाइप या नाली को बंद करने, हटाने या मोड़ने की अध्यपेक्षा का अननुपालन.- जो कोई धारा 48 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

66. अनुज्ञप्तिधारी अभियंता या अनुज्ञप्तिधारी प्लंबर द्वारा विनियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना या विहित प्रभारों से अधिक प्रभारों की मांग नहीं किया जाना.- जो कोई धारा 73 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

67. कतिपय प्रतिषिद्ध कृत्यों के लिए दण्ड.- जो कोई धारा 74 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

68. प्रवेश में बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति.- जो कोई-

(क) किसी भूमि या भवन में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रवेश करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा पहुंचाता है;

(ख) बोर्ड के किसी सदस्य, कर्मचारी या सेवक या सरकार के किसी कर्मचारी को उसको प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग करने में, या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन करने में, या उसको न्यस्त किसी कृत्य के पालन करने में प्रतिरोध करता है या बाधा पहुंचाता है; या

(ग) किसी भी व्यक्ति का, जिसके साथ बोर्ड या सरकार या सरकार के किसी अधिकारी ने संविदा की है, प्रतिरोध करता है या बाधा पहुंचाता है,

दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

69. अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध.- जो कोई, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं की गयी है, उल्लंघन किये जाने पर,-

(क) प्रथम अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा; और

(ख) द्वितीय या किसी भी पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा,

दण्डित किया जायेगा।

70. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के दायी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दण्ड के लिए ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया

है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

71. अपराधों का संज्ञान.- बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध को गठित करने वाले तथ्यों के लिखित परिवाद के सिवाय, कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा:

परन्तु बोर्ड को भी ऐसी कार्यवाहियों का सम्यक् रूप से नोटिस दिया जायेगा और यदि बोर्ड युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर वाद हेतुक हटा देता है तो न्यायालय में की कार्यवाहियों का, किसी अन्य कार्रवाई या कार्यवाही, जो बोर्ड द्वारा आरंभ की गयी है या उसके पश्चात् आरंभ की जा सकती हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपशमन हो जायेगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

72. स्थानीय प्राधिकारी से विवाद.- किसी राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड और किसी स्थानीय प्राधिकारी के बीच क्षेत्रीय या कृत्यकरण अधिकारिता से संबंधित कोई विवाद, यदि

सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं निपटाया जाता है तो सरकार को निदेशित किया जायेगा और उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

73. संकर्म का अनुज्ञप्तिधारी अभियंता या प्लंबर द्वारा किया जाना.- (1) बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी किसी अभियंता या किसी प्लंबर से भिन्न कोई भी व्यक्ति किसी परिसर में जल और मलवहन कनेक्शन से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा:

परंतु यदि बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की राय में कार्य मामूली प्रकृति का है तो वह अनुज्ञप्तिधारी अभियंता या प्लंबर से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए लिखित अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा।

(2) परिसर के स्वामी या अधिभोगी को कोई जल और मलवहन कनेक्शन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसे परिसर का आंतरिक जल और मलवहन कनेक्शन अनुज्ञप्तिधारी अभियंता या प्लंबर द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित नहीं किया गया है:

परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र इस निमित्त बनाये जाने वाले विनियमों द्वारा यथा उपबंधित मामूली प्रकृति के कार्य के संबंध में आवश्यक नहीं होगा।

(3) बोर्ड-

- (i) अनुज्ञप्तिधारी अभियंताओं या प्लंबरों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए विनियम बना सकेगा और ऐसे समस्त विनियमों की एक प्रति बोर्ड द्वारा किसी अभियंता या किसी प्लंबर को मंजूर की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति से संलग्न की जायेगी;
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी अभियंता या प्लंबर को संदत्त किये जाने वाले प्रभार, समय-समय पर, विहित कर सकेगा;
- (iii) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के अतिरिक्त, किसी अनुज्ञप्तिधारी अभियंता या प्लंबर, जो इस धारा

के उपबंधों का उल्लंघन करता है, की अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

74. कतिपय कृत्यों का प्रतिषेध.- कोई व्यक्ति-

- (क) बोर्ड के प्राधिकार के अधीन किसी संकर्म की रूपरेखा बनाने के लिए कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं रोकेगा या ऐसे संकर्म की रूपरेखा बनाने के प्रयोजन से भूमि में गाड़े गये किसी खम्भे, स्तम्भ या खूंटे को नहीं उखाड़ेगा या नहीं हटायेगा, या उस प्रयोजन के लिए किये गये किसी संकर्म को विरूपित या नष्ट नहीं करेगा; या
- (ख) बोर्ड से संबंधित और इस अधिनियम के अधीन इसके कर्तव्यों और कृत्यों के विषय में किसी ताले, कॉक, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य संकर्म या साधित्र को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक, नहीं तोड़ेगा, हानि नहीं पहुंचायेगा, नहीं घुमायेगा, नहीं खोलेगा, बन्द नहीं करेगा, शटआफ नहीं करेगा या उसमें अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा; या
- (ग) बोर्ड के किसी ऐसे जल-मार्ग या किसी जल संकर्म से, जिसके द्वारा ऐसे जल का प्रदाय किया जाता है, विधिविरुद्धतया, जल का प्रवाह नहीं रोकेगा या जल नहीं बहायेगा, नहीं हटायेगा या नहीं मोड़ेगा या उससे जल नहीं लेगा; या
- (घ) बोर्ड के किसी मल संकर्म से, विधिविरुद्धतया, मल के प्रवाह को नहीं रोकेगा या मल नहीं बहायेगा, नहीं हटायेगा, नहीं मोड़ेगा या उससे मल नहीं लेगा; या
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को नहीं रोकेगा, या उसे किसी जल या मल संकर्म के संबंध में प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा या उसके अधीन जांच करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने से

इनकार नहीं करेगा या उसमें जानबूझकर उपेक्षा नहीं करेगा; या

- (च) किसी जल संकर्म में या उस पर स्नान नहीं करेगा, किसी पशु को धोयेगा नहीं या फेंकेगा नहीं या उसमें प्रवेश नहीं करायेगा या किसी जल संकर्म में कोई कूड़ाकरकट, गंदगी या मैला नहीं फेंकेगा या किसी प्रदूषित जल को किसी जल संकर्म में नहीं मोड़ेगा या नहीं लायेगा या ऐसा कोई भी अन्य कार्य नहीं करेगा जिससे जल या कोई जल संकर्म दूषित हो जाये या उसके दूषित होने की संभावना हो; या
- (छ) बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से सम्यक् रूप से अभिप्राप्त पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, बोर्ड में निहित भूमि में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसी भूमि पर कोई भवन, दीवार या अन्य संरचना परिनिर्मित नहीं करेगा।

75. सरकार द्वारा निदेश.- (1) बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में, नीतिगत प्रश्नों पर, ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा, जैसेकि उसको सरकार द्वारा दिये जायें।

(2) नीतिगत प्रश्न क्या है, इस पर राय में किसी भिन्नता की दशा में उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

76. प्रवेश की शक्ति.- (1) बोर्ड किसी व्यक्ति को, उसके सहायकों या कर्मकारों सहित या उनके बिना, किसी भी भूमि या भवन में या उसके ऊपर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा,-

- (क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किन्हीं भी योजनाओं या स्कीमों की तैयारी करने के लिए, ऐसी भूमि या भवन का सर्वेक्षण, निरीक्षण, मापन या तलमापन करने के लिए;
- (ख) अधोमृदा को खोदने या बेधने के लिए;
- (ग) संकर्मों की बाउन्ड्री और आशयित रेखाएं निश्चित करने के लिए;

- (घ) चिह्न लगाकर, और खाइयां खोदकर ऐसे लेवल, बाउण्ड्री और रेखाएं चिह्नित करने के लिए;
- (ङ) निर्माणाधीन संकर्मों का निरीक्षण करने और मलनालियों तथा नालियों का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए;
- (च) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का उल्लंघन अभिनिश्चित करने के लिए कोई जांच, निरीक्षण या तलाशी करने के लिए; या
- (छ) कोई भी अन्य कार्य करने के लिए जो इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक हो:

परन्तु-

- (I) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाय और अधिभोगी या यदि कोई अधिभोगी नहीं हो तो भूमि अथवा भवन के स्वामी को कम से कम चौबीस घण्टे का युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा; और
- (II) प्रत्येक बार सूचना दी जायेगी ताकि किसी अपार्टमेन्ट की अन्तःवासी महिलाओं के लिए रखे गये किसी भाग से महिलाएं किसी ऐसे भाग में जा सकें जहां उनकी वैयक्तिक एकान्तता में विघ्न न हो।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा,-
- (क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसका खोलना आवश्यक समझता है; और
- (ख) यदि अधिभोगी अनुपस्थित है या उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करता है।
- (3) यदि उप-धारा (1) के अधीन कृत्यों में से किसी कृत्य के क्रियान्वयन में किसी भूमि या भवन के किसी स्वामी या अधिभोगी को कोई क्षति होती है या होनी संभाव्य है तो इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे प्रवेश के समय उस स्वामी या अधिभोगी को ऐसी नुकसानी संदत्त

करेगा या उसका संदाय निविदत्त करेगा और इस प्रकार संदत्त या निविदत्त रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद की दशा में, वह उस विवाद को तुरन्त अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगा और उस पर अपील प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

77. नोटिस, इत्यादि की तामील.- (1) किसी व्यक्ति पर तामील किये जाने या जारी किये जाने के लिए, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अपेक्षित समस्त नोटिस, बिल, सम्मन और अन्य दस्तावेज ऐसे व्यक्तियों द्वारा तामील या जारी किये जायेंगे, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(2) किसी व्यक्ति पर तामील किये जाने या जारी किये जाने के लिए, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक नोटिस, बिल, सम्मन, आदेश, अध्यक्षता या अन्य दस्तावेज, इस अधिनियम या ऐसे नियम या विनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, सम्यक् रूप से तामील किये गये समझे जायेंगे-

(क) जहां जिस व्यक्ति पर तामील की जानी है वह व्यक्ति कंपनी है, यदि दस्तावेज इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या उसके मुख्य कार्यालय पर या कारबार के स्थान पर कंपनी के सचिव को संबोधित किया जाता है और या तो-

(I) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है; या

(II) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या मुख्य कार्यालय या कंपनी के कारबार के स्थान पर परिदत्त किया जाता है;

(ख) जहां जिस व्यक्ति पर तामील की जानी है वह कोई भागीदारी फर्म है, यदि दस्तावेज भागीदारी फर्म के कारबार के मुख्य स्थान पर उसके नाम और प्रकृति की पहचान करते हुए, जिसके अधीन कारबार चलाया जाता है, संबोधित किया जाता है और या तो-

(I) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या

(II) कारबार के उक्त स्थान पर परिदत्त किया जाता है;

(ग) जहां जिस व्यक्ति पर तामील की जानी है, कोई सार्वजनिक निकाय या निगम, सोसाइटी या अन्य निकाय है, यदि दस्तावेज उस निकाय, निगम या सोसाइटी के सचिव, कोषाध्यक्ष या अन्य कार्यालय प्रधान को उसके मुख्य कार्यालय के पते पर संबोधित किया जाता है और या तो-

(I) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है; या

(II) उस कार्यालय पर परिदत्त किया जाता है;

(घ) किसी अन्य मामले में, यदि दस्तावेज तामील किये जाने वाले व्यक्ति को संबोधित है और-

(I) उसे दिया या निविदत्त किया जाता है;

(II) यदि ऐसा व्यक्ति मिल नहीं सकता तो उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान, यदि राज्य के भीतर-भीतर हो, के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाया जाता है, या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया जाता है या निविदत्त किया जाता है या ऐसे भवन या भूमि के किसी सहजदृश्य भाग, यदि कोई हो, जिससे यह संबंधित है, पर लगाया जाता है; या

(III) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है।

(3) कोई दस्तावेज, जिसे किसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी पर तामील किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत है, उसे उस भूमि या भवन (उस भूमि या भवन की पहचान करते हुए) के 'स्वामी' या, यथास्थिति, 'अधिभोगी' के रूप में, बिना किसी और विवरण के नाम के, संबोधित किया जा सकेगा और इसे सम्यक् रूप से तामील किया गया समझा जायेगा-

(क) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज इस धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसार भेजा जाता है या परिदत्त किया जाता है; या

(ख) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज या उसकी प्रति, किसी भूमि या भवन पर किसी व्यक्ति को या, जहां ऐसी भूमि या भवन पर कोई व्यक्ति नहीं हो, जिसे इसको परिदत्त किया जा सकता हो, वहां उसकी भूमि या भवन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाया जाता है।

(4) जहां, कोई दस्तावेज इस धारा के अनुसार किसी भागीदारी फर्म पर तामील किया जाता है वहां दस्तावेज प्रत्येक भागीदार पर तामील किया गया समझा जायेगा।

(5) किसी परिसर के स्वामी पर किसी दस्तावेज को तामील करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन हेतु, ऐसा करने के लिए प्राधिकृत या सशक्त कोई अन्य अधिकारी, परिसर के अधिभोगी से, लिखित नोटिस द्वारा, उसके स्वामी का नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा।

(6) जहां ऐसा व्यक्ति, जिस पर दस्तावेज तामील किया जाना है, अवयस्क है तो उसके संरक्षक या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर तामील, उस अवयस्क पर तामील समझी जायेगी।

(7) कोई भी सेवक इस धारा के अर्थान्तर्गत परिवार का सदस्य नहीं है।

78. प्रभारों के बिल या मांग के नोटिस की साधारण डाक द्वारा तामील.- धारा 77 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रभारों के बिल या मांग का नोटिस, धारा 77 में विनिर्दिष्ट समुचित व्यक्ति को संबोधित करते हुए डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन पूर्व-संदत पत्र सहित साधारण डाक द्वारा उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर तामील किया जा सकेगा और इस प्रकार भेजे गए प्रत्येक बिल या नोटिस की तामील साबित करने के लिए, यह साबित करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर उचित रूप से पता लिखा था और डाक में डाले जाने के प्रमाण के अधीन डाक में डाला गया था।

79. नोटिस इत्यादि के अननुपालन के मामले में शक्ति.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन किसी

व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति से किसी कार्य का निष्पादन करने या कोई कार्य करने की अपेक्षा करते हुए, जारी किये गये किसी नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा के निबंधनों के अननुपालन के मामले में, उस प्राधिकारी या अधिकारी के लिए, विधिपूर्ण होगा जिसकी प्रेरणा पर ऐसा नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा जारी की गयी है, चाहे व्यतिक्रमी व्यक्ति ऐसे व्यतिक्रम के दण्ड के लिए दायी है या नहीं या ऐसे व्यक्ति को लिखित में नोटिस देने के पश्चात् उसके लिए अभियोजित या दण्डादिष्ट किया गया है या नहीं, कि ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित या किये जाने के लिए अपेक्षित कृत्य पूर्ण करने के लिए ऐसी कार्रवाई करना या ऐसे कदम उठाना, जो आवश्यक हों और इस मद्दे उपगत समस्त खर्चे मांग किये जाने पर बोर्ड को संदेय होंगे और यदि ऐसी मांग किये जाने के पश्चात् दस दिवस के भीतर-भीतर संदत नहीं किये जाते हैं तो इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रभारों की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

80. स्वामी के व्यतिक्रम में अधिभोगी द्वारा कार्य का निष्पादन और भाड़े से व्ययों की कटौती.- जब कभी, किसी भूमि या भवन का स्वामी, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन किसी ऐसे कार्य को करने में विफल रहता है जिसका निष्पादन करना उससे अपेक्षित था, तब ऐसी भूमि या भवन का अधिभोगी, यदि कोई हो, बोर्ड के अनुमोदन से, उक्त कार्य निष्पादित कर सकेगा और वह, स्वामी और अधिभोगी के बीच प्रतिकूल किसी संविदा के अध्यधीन रहते हुए, उस कार्य के निष्पादन में उसके द्वारा उपगत युक्तियुक्त खर्चों को स्वामी से वसूल करने का हकदार होगा और उसके द्वारा स्वामी को संदेय किराये से उसकी रकम की कटौती कर सकेगा।

81. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, जब अवसर अपेक्षा करे, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हो और जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

82. बोर्ड से परामर्श और उसका अनुमोदन चाहना.- चूंकि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता के भीतर-भीतर अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए समस्त अन्य अभिकरण जयपुर नगरीय क्षेत्र के भीतर-भीतर जल संकर्म और मलवाही संकर्म से संबंधित किन्हीं भी स्कीमों या परियोजनाओं की योजना बनाते समय, बोर्ड से परामर्श और उसका अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

83. अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां.- बोर्ड-

- (क) किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता कर सकेगा, जिसने बोर्ड की राय में, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय अपराध किया है और ऐसे समझौते पर, ऐसे अपराध के संबंध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी;
- (ख) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन अभियोजन वापस ले सकेगा;
- (ग) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध का शमन कर सकेगा, जिसे सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के द्वारा, शमनीय घोषित किया जाये:

परन्तु सरकार इस धारा के अधीन अपराधों में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

84. बोर्ड की संपत्ति को हुए नुकसान की पूर्ति करना.- यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम से, जिसके कारण किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा या अधीन अधिरोपित कोई शास्ति उपगत हो, और ऐसे व्यक्ति द्वारा बोर्ड की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया गया हो तो वह ऐसी शास्ति संदत्त करने के साथ ही ऐसे नुकसान की पूर्ति करने के लिए दायी होगा, और विवाद के मामले में, नुकसानी की रकम उस मजिस्ट्रेट

द्वारा अवधारित की जायेगी, जिसके द्वारा ऐसी शास्ति उपगत करने वाले व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया है, और मांग किये जाने पर ऐसी नुकसानी का संदाय न किये जाने के मामले में, उसे करस्थम् द्वारा उद्गृहीत किया जायेगा और तदनुसार, ऐसा मजिस्ट्रेट उसे वारण्ट जारी करेगा।

85. निजी संस्था के जलप्रदाय और मलवहन आस्तियों का प्रबंध करने की बोर्ड की शक्ति.- निजी संस्था, विहित रीति से, अपने जलप्रदाय और मलवहन आस्तियों का कार्यभार संभालने और प्रबंध करने के लिए बोर्ड से अनुरोध कर सकेगी। बोर्ड, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, निजी संस्था के जलप्रदाय और मलवहन आस्तियों का कार्यभार संभाल सकेगा और प्रबंध कर सकेगा और उस निजी संस्था से ऐसी फीस संगृहीत कर सकेगा जिस पर उनमें करार द्वारा सहमति हो।

86. शोध्यों की वसूली का तरीका.- (1) जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड को संदेय रकम संदत्त नहीं की जाती है, वहां प्रबंध निदेशक, निम्नलिखित तरीकों में से एक या अधिक तरीके द्वारा रकम वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात्:-

- (क) प्रबंध निदेशक ऐसे व्यक्ति को देय किसी धन से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती कर सकेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से कटौती किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो प्रबंध निदेशक या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन हो;
- (ख) प्रबंध निदेशक ऐसे व्यक्ति के किसी माल, जो प्रबंध निदेशक या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन हो, को निरुद्ध करके और उसका विक्रय करके इस प्रकार संदेय रकम की वसूली कर सकेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से ऐसा करने की अपेक्षा कर सकेगा;
- (ग) (i) प्रबंध निदेशक, लिखित नोटिस द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति से शोध्य हो सकता है, या जो ऐसे व्यक्ति के लिए या

उसके मद्धे धन रखता है या बाद में धन रख सकता हो, से इतना धन जितना कि ऐसे व्यक्ति से शोध्द्य रकम के संदाय के लिए पर्याप्त हो या सम्पूर्ण धन जब यह उस रकम के बराबर या कम हो, धन के शोध्द्य होने या रखे जाने पर या तो तत्काल या नोटिस में विनिर्दिष्ट समय, जो धन के शोध्द्य होने या रखे जाने से पूर्व का न हो, के भीतर-भीतर, सरकार को संदत्त किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा;

- (ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपर्युक्त उप-खण्ड (i) के अधीन नोटिस जारी किया जाता है, ऐसे नोटिस का पालन करने के लिए आबद्ध होगा, और विशेष रूप से, किसी नियम, प्रथा या अपेक्षा के प्रतिकूल होने पर भी, जहां ऐसा कोई नोटिस किसी पोस्ट ऑफिस, बैंककारी कम्पनी या किसी बीमाकर्ता को जारी किया जाता है तो संदाय किये जाने से पूर्व की जाने वाली किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या उसी प्रकार की किसी बात के प्रयोजन के लिए, कोई पासबुक, जमा रसीद, पॉलिसी या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा;
- (iii) ऐसा व्यक्ति, जिसे उप-खण्ड (i) के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया है, उसके अनुसरण में यदि बोर्ड को, संदाय करने में विफल रहता है तो उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जायेगा और इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के समस्त परिणाम होंगे;
- (iv) उप-खण्ड (i) के अधीन नोटिस जारी करने वाला अधिकारी, किसी भी समय, ऐसे नोटिस को संशोधित कर सकेगा या वापस ले सकेगा या नोटिस के अनुसरण में कोई संदाय करने के लिए समय बढ़ा सकेगा;

- (v) उप-खण्ड (i) के अधीन जारी किये गये नोटिस के पालन में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह समझा जायेगा कि उसने व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय किया है और ऐसा संदाय बोर्ड को जमा किये जाने पर, रसीद में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक, व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति ऐसे व्यक्ति के दायित्व का एक अच्छा और पर्याप्त उन्मोचन गठित करेगा;
- (vi) कोई व्यक्ति, जो व्यतिक्रमी व्यक्ति पर उप-खण्ड (i) के अधीन जारी नोटिस के तामील होने के पश्चात् उसके किसी दायित्व का निर्वहन करता है, वह दायित्व के निर्वहन की सीमा तक, या मूल शोध्य रकम, ब्याज और शास्ति, इनमें से जो भी कम हो, के लिए व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार तक, बोर्ड के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा;
- (vii) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उप-खण्ड (i) के अधीन नोटिस तामील किया जाता है, नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि जिस समय उस पर नोटिस तामील हुआ था, मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या कि उसने व्यतिक्रमी व्यक्ति के लिए या उसके मद्धे कोई धन नहीं रखा था, मांग किये गये धन या उसका भाग ऐसे व्यक्ति के प्रति शोध्य होना या उसके लिए रखा जाना या उसके मद्धे रखा जाना संभावित था, वहां इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे व्यक्ति से, जिस पर नोटिस तामील किया गया है, बोर्ड को कोई ऐसा धन या उसका भाग संदत्त करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जायेगी;

- (घ) प्रबंध निदेशक, इस निमित्त बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को करस्थम् कर सकेगा, और उसे तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक कि संदेय रकम संदत्त न कर दी जाये; और यदि उक्त संदेय रकम का, या संपत्ति के करस्थम् के या उसे रखने के खर्चे का, कोई भाग ऐसे किसी करस्थम् के ठीक पश्चात् तीस दिवस की कालावधि तक के दौरान असंदत्त रहता है तो उक्त सम्पत्ति का विक्रय करवा सकेगा और ऐसे विक्रय के आगमों से, संदेय रकम और लागत, जिसमें असंदत्त रही विक्रय की लागत सम्मिलित है, चुका सकेगा और अधिशेष रकम, यदि कोई हो, ऐसे व्यक्ति को दे देगा;
- (ङ) प्रबंध निदेशक, ऐसे व्यक्ति से शोधय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र तैयार कर सकेगा और उसे जिले के कलक्टर को, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कोई संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, भेज सकेगा और उक्त कलक्टर या उक्त अधिकारी, ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति से इसमें विनिर्दिष्ट रकम वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानोकि वह भू-राजस्व की बकाया हो;
- (च) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंध निदेशक, समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें विनिर्दिष्ट रकम वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानोकि वह उसके द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना हो।

(2) जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन निष्पादित किसी बंधपत्र या अन्य लिखत के निबंधन यह उपबंधित करते हैं कि ऐसी लिखत के अधीन शोध्य कोई रकम उप-धारा (1) में अधिकथित रीति से वसूल की जा सकेगी, वहां ऐसी रकम, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उप-धारा के उपबंधों के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

(3) जहां शोध्य रकम, ब्याज या शास्ति की कोई रकम, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड को संदेय है और जो असंदत रह जाती है, वहां प्रबंध निदेशक, उक्त बकाया की वसूली के दौरान, उक्त व्यक्ति से वह रकम ऐसे वसूल कर सकेगा मानोकि वह भू-राजस्व की बकाया हो और इस प्रकार वसूल की गयी रकम बोर्ड के खाते में जमा कर सकेगा।

87. नोटिस और अन्य दस्तावेजों की विधिमान्यता.- इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के अधीन जारी किया गया कोई नोटिस, आदेश अध्यक्ष, अनुज्ञप्ति, लिखित अनुज्ञा या अन्य कोई दस्तावेज केवल प्ररूप या बयौरे में किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा।

88. कतिपय व्यक्तियों को पुरस्कार.- बोर्ड, ऐसे किसी व्यक्ति को पुरस्कार दे सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन, जैसेकि जल का कोई दुरुपयोग या मुख्य पाइप या बोर्ड मलनाली को तोड़ना या ऐसे अन्य मामले, जो विहित किये जायें, बोर्ड के ध्यान में लाता है।

89. ग्राहक शिकायत निवारण मंच.- बोर्ड, एक सक्रिय ग्राहक सेवा केन्द्र/कॉल सेंटर उपलब्ध कराने के लिए एक मंच बनायेगा, जो उसके ग्राहकों को, ऐसे विनियमों के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, जलप्रदाय और मलवहन प्रणालियों से संबंधित किसी भी मामले के लिए सम्यक् रूप से प्रभावी निवारण सेवा उपलब्ध करायेगा।

90. अपील.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन किसी अधिकारी के किसी विनिश्चय या

आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय या आदेश की तामील होने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर, विनियमों द्वारा यथा विहित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा और बोर्ड के पुनरीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी के आदेश अंतिम होंगे।

91. पुनरीक्षण.- बोर्ड, किसी आदेश या कार्यवाहियों की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी की किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख मंगा सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

92. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड या परामर्श परिषद् या किसी समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध, या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध या ऐसे व्यक्ति के आदेश या निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये किसी नियम, विनियम या अन्य लिखत के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी न्यायालय में कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या ग्रहण नहीं की जायेगी।

93. वाद का नोटिस दिया जाना.- (1) बोर्ड के विरुद्ध या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध या बोर्ड या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के आदेश या निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में, कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा, जब तक कि बोर्ड के कार्यालय को लिखित नोटिस देने के पश्चात् दो मास का अवसान न हो गया हो और, ऐसे अधिकारी या व्यक्ति के मामले में, जब तक उसको लिखित नोटिस परिदत्त न कर दिया गया हो या उसके कार्यालय या निवास स्थान पर न दे दिया गया हो, और जब तक ऐसा नोटिस वाद हेतुक, ईप्सित अनुतोष की प्रकृति, दावाकृत प्रतिकर की रकम और आशयित वादी का नाम और निवास स्थान का

कथन स्पष्टतया न करता हो और जब तक कि वादपत्र में ऐसा कथन अंतर्विष्ट न हो कि ऐसा नोटिस इस प्रकार से छोड़ दिया गया है या परिदत्त कर दिया गया है।

(2) उप-धारा (1) में की कोई भी बात ऐसे किसी वाद पर लागू नहीं समझी जायेगी जिसमें दावाकृत अनुतोष केवल व्यादेश है जिसका उद्देश्य, नोटिस देने से या वाद के संस्थित किये जाने के स्थगन से, विफल हो जायेगा।

94. बोर्ड के कर्मचारियों का लोक सेवक होना.- बोर्ड के समस्त सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, और इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के निष्पादन के लिए न्यस्त कोई व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

95. नियम बनाने की शक्ति.- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम, भूतलक्षी प्रभाव से बनाया जा सकेगा और जब ऐसा कोई नियम बनाया जाता है तो इस प्रकार नियम बनाये जाने का कारण, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखे जाने वाले कथन में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात् तुरन्त, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, यदि वह सत्र में हो और यदि वह सत्र में न हो तो ठीक अगले सत्र में, चौदह दिवस की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण या नियम का बातिलकरण किये जाने से सहमत होती है तो ऐसा नियम, उस तारीख से, जिसको ऐसा उपान्तरण या बातिलकरण अधिसूचित किया जाता है, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, बातिल रहेगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में

की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

96. बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति.- बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित समस्त या किन्हीं मामलों का उपबंध करने के लिए, जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों, विनियम बना सकेगा, अर्थात्:-

- (क) बोर्ड की निधियों और अन्य सम्पत्ति का प्रशासन और उसके लेखाओं का संधारण;
- (ख) बोर्ड की बैठकें बुलाना और उनका आयोजन और समय और स्थान जहां पर ऐसी बैठकें आयोजित की जायेंगी, और उनमें कार्य संचालन और गणपूर्ति करने के लिए आवश्यक निदेशकों की संख्या;
- (ग) बोर्ड के कर्मचारियों के कर्तव्य और उनके वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;
- (घ) ऐसा जुर्माना, जो किसी विधि के भंग के लिए अधिरोपित किया जा सकेगा, एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, और निरन्तर भंग की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना, जो ऐसे भंग को रोकने के लिए बोर्ड से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् इस दौरान ऐसा भंग जारी रहता है, प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपये तक का हो सकेगा;
- (ङ) बोर्ड द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने, उन पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और
- (च) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों से उद्भूत कोई अन्य मामला, जिसमें विनियम बनाया जाना आवश्यक या समीचीन है।

97. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त, नियम

बनाने की शक्ति से भिन्न, समस्त या किन्हीं शक्तियों को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी या बोर्ड को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड के ऐसे कृत्यों और शक्तियों का, जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, प्रत्यायोजन किसी स्थानीय प्राधिकारी को कर सकेगी और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(3) बोर्ड, आदेश द्वारा, विनियम बनाने के कृत्य और शक्ति के सिवाय, ऐसी शर्तों या सीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, अपने कृत्यों और शक्तियों में से कोई कृत्य और शक्ति इसके प्रबंध निदेशक या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य को या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को समनुदेशित और प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) बोर्ड, आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों या परिसीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, अपने कृत्यों और शक्तियों में से कोई कृत्य और शक्ति बोर्ड की किसी समिति को, या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को समनुदेशित और प्रत्यायोजित कर सकेगा।

98. बोर्ड को उन्मुक्ति.- बोर्ड या बोर्ड के निदेशों के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या उसके सदस्यों, अधिकारियों या उसके कर्मचारियों के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक और सद्भावपूर्वक और सम्यक् सतर्कता और ध्यान से की गयी किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही पोषणीय नहीं होगी।

99. इस अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील.- समस्त दस्तावेज, जिस पद में इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील किये जाने के लिए अपेक्षित नोटिस और आदेश सम्मिलित होंगे, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सम्यक् रूप से तामील किये गये समझे जायेंगे, जहां उसे उसके निवास या कारबार के स्थान पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है या परिदत्त किया जाता है या उस व्यक्ति को दिया या परिदत्त किया

जाता है जिसको वह संबोधित है या यदि ऐसा व्यक्ति पाया नहीं जाता है तो इसको उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाया जाता है या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को दिया या परिदत्त किया जाता है या ऐसी भूमि या भवन, जिससे वह संबंधित है, के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाया जाता है, या जहां इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में उपदर्शित रीति से किसी व्यक्ति पर किसी दस्तावेज की तामील का प्रयास विफल रहता है, वहां उस व्यक्ति पर उस दस्तावेज की प्रभावी तामील मानी जायेगी, यदि तामील किये जाने वाले दस्तावेज का नोटिस किसी भी दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है।

100. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.- (1) कोई भी सिविल न्यायालय, ऐसे किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सरकार, बोर्ड या अपील प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सके।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, सरकार द्वारा पारित किया गया कोई आदेश या बोर्ड, या अपील प्राधिकारी को दिया गया कोई निदेश, या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड या अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश या जारी किया गया कोई नोटिस, अंतिम होगा।

101. सरकार का नियंत्रण.- (1) बोर्ड की अधिकारिता के भीतर जलप्रदाय और मलवहन प्रणाली की स्थापना, योजना, विकास, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंध और विनियमन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी गयी नीति और अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) बोर्ड, ऐसे निदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए समय-समय पर जारी किया जाये।

102. अधिनियम का अन्य राजस्थान विधियों पर अध्यारोही होना.- इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस

अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होने पर भी, प्रभावी होंगे।

103. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, जयपुर में जलप्रदाय और मलवहन प्रबंध से संबंधित कृत्य अनेक अभिकरणों जैसेकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.), जयपुर नगर निगम (ज.न.नि.), जयपुर विकास प्राधिकरण (ज.वि.प्रा.) और राजस्थान आवासन बोर्ड (रा.आ.बो.) द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। जलप्रदाय और मलवहन सेवाओं से संबंधित क्रियाकलापों की योजना, विकास, क्रियान्वयन और प्रबंध के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखे जाने की आवश्यकता है। इसलिए, जयपुर नगरीय क्षेत्र में जलप्रदाय और मलवहन प्रणाली के प्रबंध के लिए सर्वांगीण और समेकित पद्धति उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक् संस्था का होना अत्यावश्यक है।

प्रस्तावित विधेयक, अन्य बातों के साथ, जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड के गठन, इसके कृत्यों, निधि, बोर्ड द्वारा तैयार और क्रियान्वित की जाने वाली स्कीमों और योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण का उपबंध करता है।

इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब और अनुसूची 12 के अधीन परिकल्पित और प्रदत्त की गयी शक्तियों के आधार पर

राज्य सरकार, जयपुर नगरीय क्षेत्र में जलप्रदाय और मलवहन प्रबंध से संबंधित कृत्यों का जिम्मा लेने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाने हेतु यह विधायन ला रही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के उपबंध, जहां तक वे जयपुर नगरीय क्षेत्र के भीतर मलवहन प्रबंध से संबंधित हैं, जयपुर नगर निगम पर लागू नहीं होंगे क्योंकि इस विधायन की अधिनियमिति के पश्चात् बोर्ड द्वारा इसका ग्रहण कर लिया जायेगा।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 15 जून, 2018 को जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 4) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 15 जून, 2018 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प- 2 (29) विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2018 प्रेषक: श्रीचंद कृपलानी, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

वित्तीय जापन

विधेयक का खण्ड 3, राज्य में जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड के गठन का उपबंध करता है। बोर्ड की स्थापना और कृत्यों के लिए उपगत किया जाने वाला आवर्ती और अनावर्ती व्यय क्रमशः 292 करोड़ रुपये (दो सौ बानवे करोड़ रुपये) प्रतिवर्ष और 95 करोड़ रुपये (पिचानवे करोड़ रुपये) प्राक्कलित हैं। आवर्ती व्यय के मामले में, जलप्रदाय के लिए 256 करोड़ रुपये प्राक्कलित हैं और मलवहन के लिए 36 करोड़ रुपये प्राक्कलित हैं। अनावर्ती व्यय के मामले में, जलप्रदाय के लिए 55 करोड़ रुपये प्राक्कलित हैं और मलवहन के लिए 40 करोड़ रुपये प्राक्कलित हैं।

उपरोक्त रकम में आगामी वर्षों में वृद्धि होना सम्भावित है जो कि बोर्ड की संक्रियाओं के आकार और इसके कर्मचारियों की लागत पर निर्भर करता है।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने वर्णित मामलों के संबंध में, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए और बोर्ड को विनियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

राज्य सरकार

खण्ड

के संबंध में

- 3(4) अध्यक्ष और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, पन्द्रह से अनधिक बोर्ड के सदस्य विहित करना;
- 4 गैर-सरकारी सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें विहित करना;
- 6(1) बोर्ड के सदस्य को हटाये जाने के लिए जांच की प्रक्रिया विहित करना;
- 16(1)(ग) रकम, जिस तक प्रबंध निदेशक, तकनीकी और प्रशासनिक प्रकृति के प्राक्कलन या संविदा सहित किसी प्राक्कलन या संविदा को मंजूर कर सकेगा, विहित करना;
- 16(2) बोर्ड द्वारा संविदा किये जाने की रीति और प्रक्रिया विहित करना;
- 18(2) विभिन्न लेखा शीर्ष और वह रीति तथा वह प्ररूप, जिनके अधीन बोर्ड की प्राप्तियां और व्यय रखे जायेंगे, विहित करना;
- 23 वह रीति, जिससे निधि में से संदाय किया जायेगा, विहित करना;
- 25 वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे, प्रबंध निदेशक बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और उसे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, विहित करना;
- 28 वह रीति, जिससे लिखतें जैसे उधार, डिबेंचर, बंधपत्र

- इत्यादि बोर्ड द्वारा जारी, अंतरित, बरती और मोचित की जायेंगी, विहित करना;
- 30 वे सिद्धांत, जिनके अनुसार किसी अवक्षयण आरक्षित निधि के लिए वार्षिक उपबंध किये जायेंगे, विहित करना;
- 31 सुधार आरक्षित निधि के उपयोग के लिए सिद्धांत विहित करना;
- 32(1) वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे, बोर्ड लेखे रखेगा, विहित करना;
- 32(3) बोर्ड द्वारा संपरीक्षा के लिए निधि में से संदत्त किये जाने वाले प्रभार विहित करना;
- 34(2)(ख) किसी जंगम और स्थावर संपत्ति के पट्टे, विक्रय या अन्यथा अंतरण संबंधी शर्तें विहित करना;
- 34(2)(ग) वह रीति विहित करना, जिससे बोर्ड जल निकालेगा, उसका शोधन, प्रदाय और वितरण करेगा और पुनःचक्रित जल के शोधन, प्रदाय और वितरण के लिए मानक विहित करना;
- 34(2)(घ) वह रीति, जिससे बोर्ड मुख्य पाइप, सर्विस पाइप और संवहन पाइप बिछायेगा और अग्नि हार्डड्रेन्ट, स्टापकाक, जल के मीटर इत्यादि के लिए व्यवस्था करेगा, विहित करना;
- 34(2)(च) वह रीति, जिससे बोर्ड जलप्रदाय के लिए संनिर्माण, प्रचालन, रखरखाव, प्रदाय और विनियमन करने के लिए संपत्ति में उपयोक्ता अधिकार अर्जित करेगा, विहित करना;
- 34(2)(छ) वह रीति, जिससे बोर्ड मलवहन प्रणालियों के लिए संनिर्माण, प्रचालन, रखरखाव और विनियमन करने के लिए संपत्ति में उपयोक्ता अधिकार अर्जित करेगा, विहित करना;
- 34(2)(ज) अशोधित जल, भू-जल को निकालने के लिए, और शोधित बेकार जल के प्रदाय के लिए, योजना बनाने,

- उसके उपयोग को विनियमित करने और उसका प्रबंध करने की रीति विहित करना;
- 34(2)(न) वह रीति, जिससे लोक निजी भागीदारी के आधार पर कोई करार किया जायेगा, विहित करना;
- 37 वे परिस्थितियां और शर्तें, जिनके अधीन घरेलू प्रयोजन के लिए प्रदाय किये गये जल का गैर-घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, विहित करना;
- 43 दरें, जिन पर बोर्ड द्वारा जिम्मा लिये गये मलवहन और मल शोधन संकर्म की पूंजी लागत को चुकाने और मलवहन प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव के लिए प्रभार संदत्त किया जाना है, विहित करना;
- 44 किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा मलनाली कनेक्शन प्राप्त करने की फीस और अन्य प्रभार तथा इस संबंध में पालन की जाने वाली शर्तें विहित करना;
- 47 वह रीति, जिससे संयुक्त संक्रिया द्वारा परिसरों के समूह या ब्लॉक में से जल-निकास किया जा सकेगा, विहित करना;
- 50 मलनालियों और मलशोधन संकर्म से कोई कनेक्शन या सम्पर्क करने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए निबंधन और शर्तें विहित करना;
- 95(1) इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए; और

बोर्ड

खण्ड

के संबंध में

- 10(1) बोर्ड की बैठकों के कार्य संचालन और बैठक की गणपूर्ति के संबंध में प्रक्रिया के नियम अधिकथित करना;
- 12(2) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें अवधारित करना;
- 15(1) अन्य समितियों के गठन के लिए प्रयोजनों और कृत्यों को विनिर्दिष्ट करना;

- 15(2) समितियों की बैठकों के लिए स्थान और समय, तथा बैठकों में कार्य संचालन के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया के नियम, उपबंधित करना;
- 15(3) समितियों के सदस्यों को, बैठकों में उपस्थित होने के लिए और समितियों का कोई अन्य कार्य करने के लिए व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति करने हेतु संदत्त किये जाने वाले भत्ते विहित करना;
- 38 घरेलू प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जलप्रदाय हेतु निबंधन और शर्तें उपबंधित करना;
- 52 मलनाली या मलकूप में संवातन के प्रयोजन के लिए किसी शाफ्ट या पाइप को, किसी भी परिसर के ऊपर परिनिर्मित करने के लिए या किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगाने के लिए उपबंध करना;
- 73(2) मामूली प्रकृति का कार्य, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी अभियंता या प्लंबर से प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है, उपबंधित करना;
- 73(3)(i) अनुज्ञप्तिधारी अभियंताओं या प्लंबरों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए विनियम बनाना;
- 73(3)(ii) अनुज्ञप्तिधारी अभियंताओं या प्लंबरों को संदत्त किये जाने वाले प्रभार विहित करना;
- 88 इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन संबंधी अन्य मामले, जिनके लिए बोर्ड उस व्यक्ति को पुरस्कार देगा जो ऐसे उल्लंघन को बोर्ड के ध्यान में लाता है, विहित करना;
- 89 ग्राहक शिकायत निवारण मंच, जो जलप्रदाय और मलवहन प्रणालियों से संबंधित मामलों के लिए ग्राहक को प्रभावी निवारण सेवा उपलब्ध करायेगा, का उपबंध करना;
- 90 अपील प्राधिकारी, जिसको इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील कर सकेगा, विहित करना;

- 96(क) बोर्ड की निधियों और अन्य सम्पत्ति का प्रशासन और उसके लेखाओं का संधारण करने के लिए उपबंध करना;
- 96(ख) बोर्ड की बैठकें बुलाने और उनका आयोजन करने तथा समय और स्थान, जहां पर ऐसी बैठकें आयोजित की जायेंगी, और उनमें कार्य संचालन और गणपूर्ति करने के लिए आवश्यक निदेशकों की संख्या के लिए उपबंध करना;
- 96(ग) बोर्ड के कर्मचारियों के कर्तव्य और उनके वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के लिए उपबंध करना;
- 96(घ) जुर्माना, जो किसी विधि के भंग के लिए अधिरोपित किया जा सकेगा, के लिए उपबंध करना;
- 96(ङ) बोर्ड द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने, उन पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए उपबंध करना;
- 96(च) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन बोर्ड के कृत्यों से उद्भूत किसी अन्य मामले के अध्यक्षीन साधारणतया विनियम बनाना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 24 of 2018

**THE JAIPUR WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD
BILL, 2018**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A
Bill

to provide for the establishment and incorporation of the water supply and sewerage board for the management of water supply and sewerage system in Jaipur Urban Area and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER – I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Jaipur Water Supply and Sewerage Board Act, 2018.

(2) It extends to the whole of the Jaipur Urban Area.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (i) “Board” means the Jaipur Water Supply and Sewerage Board constituted under section 3;
- (ii) “bulk water hauling” means the physical transport of water through a pipeline or by a vehicle having a permanently mounted or detachable water tank;

- (iii) “CPHEEO” means the Central Public Health and Environmental Engineering Organization, a technical wing of Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India;
- (iv) “cesspool” includes a settlement tank or other tank to receive or dispose of foul matter from any premises;
- (v) “Committee” means any committee constituted under sections 14 and 15;
- (vi) “communication pipe” means –
 - (a) where the premises supplied with water abut on the part of the street in which the main is laid, and the service pipe enters those premises otherwise than through the outer wall of a building on the street and has a stopcock placed in those premises and as near to the boundary of that street as is reasonably practicable, so much of the service pipe as lies between the main and that stopcock;
 - (b) in any other case, so much of the service pipe as it lies between the main and the boundary of the street in which the main is laid and includes the ferrule at the junction of the service pipe with the main, and also –
 - (I) where the communication pipe ends at a stopcock, that stopcock; and
 - (II) any stopcock fitted on the communication pipe between the end thereof and the main;
- (vii) “domestic sewage” means the waste water from the residential premises, boarding and lodging houses, hostels, hotels, public places, offices and all other establishments as are not a part of any trade or industry, and arising out of personal and normal human activities such as drinking, bathing, ablution, washing and cooking;

- (viii) “drain” includes a sewer, tunnel, pipe, ditch, channel or any other device for carrying spillage, sewage, sullage, offensive matter, polluted water, waste water, rain water or sub-soil water together with pail depots, traps, sinks, cisterns, flush tanks, and other fittings appertaining thereto;
- (ix) “Fund” means the Jaipur Water Supply and Sewerage Board Fund constituted under section 18;
- (x) “ground-water” means the water which exists below the surface of the ground at any particular location;
- (xi) “Jaipur Urban Area” means the territorial area within the limits of Jaipur Nagar Nigam as notified by the Government under clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) and includes such other areas as may be notified by the Government from time to time;
- (xii) “Licensed Engineer or Plumber” means a person licensed under the provisions of this Act as an Engineer or Plumber;
- (xiii) “local authority” means a Municipality or a Panchayat or an Authority, or Board or any agency entrusted by the Government with the control or management of water and sewerage systems in the Jaipur Urban Area;
- (xiv) “notification” means a notification published in the Official Gazette and the expressions “notify” and “notified” shall be construed accordingly;
- (xv) “premises” means any land or building or any part of land or building;
- (xvi) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

- (xvii) “main” means a pipe laid by the local authority, or the Board, as the case may be, for the purpose of giving general supply of water as distinct from supply to individual consumers, and includes any apparatus used in connection with such pipe;
- (xviii) “regulations” means regulations made under this Act;
- (xix) “rules” means rules made under this Act;
- (xx) “scheme” means any scheme relating to the provision of water supply and sewerage system and matters incidental thereto;
- (xxi) “service pipe” means so much of any pipe for supplying water from a main to any premises as is subject to water pressure from that main, or would be so subject but for the closing of some taps;
- (xxii) “sewage” means night soil and other contents of latrines, urinals, cesspools or drains, and polluted water from sinks, bathrooms, stables, cattle sheds and other like places, and includes trade effluent and discharges from manufacturers of all kinds;
- (xxiii) “sewer” means any device for carrying of sewage, sullage, rain water, offensive matter, polluted water, waste water or sub-soil water and includes a drain;
- (xxiv) “sewerage” means a system of sewers for collection, treatment or disposal of sewage and includes sewerage works;
- (xxv) “sewerage works” includes any sewer channel, duct, collection or treatment or disposal units, pumping station, engine, mobile collecting unit, and other machinery and any adjacent land not being private property and any land, building or other things for collection or treatment or disposal of sewage;

- (xxvi) “sink” with all its grammatical variations and cognate expressions in relation to any existing well or new well includes digging, drilling or boring of new well and deepening carried out in the existing well, for exploitation of ground-water;
- (xxvii) “street” includes any way, road, lane, square, court, alley, gully, passage, whether a thoroughfare or not and whether built upon or not, over which the public have a right of way and also the roadway or footway over any bridge or causeway;
- (xxviii) “supply pipe” means so much of any service pipe as is not a communication pipe;
- (xxix) “trade effluent” means any liquid either with or without particles of matter in suspension therein, which is wholly or in part produced in the course of any trade or industry carried on at trade premises, and in relation to any trade premises means any such liquid as aforesaid which is so produced in the course of any trade or industry carried on at those premises, but does not include domestic sewage;
- (xxx) “trade premises” means any premises used or intended to be used for carrying on any trade or industry;
- (xxxi) “water fittings” includes pipes (other than mains), taps, valves, meters, bath and other similar apparatus used in connection with the supply of, and used for conveying or storing, water;
- (xxxii) “water works” includes all lakes, tanks, streams, springs, pumps, wells, reservoirs, water trucks, mains, clusters, pipes, standpipes, hydrants and all lands, buildings, plants, equipments and machineries, bridges and things used for or intended for the purposes of water supply; and

- (xxxiii) “well” means a structure sunk for search or extraction of ground-water by any person, except by the authorized officials of the Government or Government of India, for carrying out scientific investigation, exploration, development, augmentation, conservation, protection or management of ground water and includes an open well, dug well, bore well, dug-cum-bore well, tube well, filter point, collection well or infiltration gallery, recharge well, disposal well, or any of their combinations or variations, except any manual operated device for extraction of ground water.

CHAPTER – II

Establishment and Constitution of the Board

3. Constitution of the Board.- (1) *There shall be established a Board by the name of “Jaipur Water Supply and Sewerage Board” hereinafter called the “Board”.*

(2) *The Board shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, to acquire, hold and dispose of property, and to enter into contracts, and shall by the said name sue and be sued.*

(3) *The Board shall for all purposes be deemed to be a local authority.*

(4) *The Board shall consist of Chairperson and other official and non-official members, not exceeding fifteen persons, as may be prescribed, and appointed by the Government.*

(5) *The non-official members shall be eminent persons one each from the water sector and sewerage sector and the third member shall be an elected representative to represent the interest of general public.*

4. Term of office and conditions of service of non-official members.- Every non-official member shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office. The salary, allowances and other terms and conditions

of service of the non-official members shall be such as may be prescribed by rules.

5. Resignation of a member.- Any member may resign his office by giving notice in writing to the Government and on such resignation being accepted by the Government, such member shall be deemed to have vacated his office.

6. Removal of a member.- (1) Subject to the provisions of section 8, the Government may, by notification remove any member of the Board from his office on the ground of proved misbehaviour after the Government, has, on an inquiry, held in accordance with the procedure prescribed in this behalf, reported that the member, ought on any such ground to be removed.

(2) The Government may, during the period of inquiry as specified in sub-section (1), against any member, suspend such member of the Board.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Government may, by order, remove from office, the Chairperson or any other member, if the Chairperson or such other member, as the case may be,-

- (a) has been adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as Chairperson or member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as the Chairperson or member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no member shall be removed from his office on the ground specified in clause (d) or clause (e), unless the Government has, on an inquiry, held by it in accordance with such procedure as prescribed in this behalf by the Government, reported that the Member ought on such ground or grounds to be removed.

7. Vacancies etc., not to invalidate proceedings of the Board.- No act or proceeding of the Board shall be invalid merely by reasons of-

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Board; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as member of the Board; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Board not affecting the merits of the case.

8. Disqualifications for appointment on the Board.- (1) A person shall be disqualified for being appointed or for continuing as member of Board, if he—

- (a) has been convicted by a criminal court for an offence involving moral turpitude, unless such conviction has been set aside;
- (b) is an undischarged insolvent;
- (c) is of unsound mind;
- (d) has directly or indirectly, by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of, the Board; or
- (e) is a Director or Secretary, Manager or other salaried officer of any incorporated company which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board.

(2) A person shall not be disqualified under clause (d) or clause (e) of sub-section (1) or be deemed to have any share or interest in any incorporated company which has any share or interest in any contract or employment with by or on behalf of the Board, by reason only of his being a shareholder of such company:

Provided that such person discloses to the Government the nature and extent of the shares held by him.

9. Authentication of orders and other instruments of the Board.- All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Chairperson or any member

authorized by the Board in this behalf and all other instruments issued by the Board shall be authenticated by the signature of such member or employee of the Board as may be authorized by the Board in this behalf.

10. Meetings of the Board.- (1) The Board shall meet at least once in three months at such place and at such time as the Chairperson may decide, and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting including the quorum thereat as may be laid down by regulations.

(2) If, for any reason the Chairperson is unable to attend any meeting, any other member of the Board, elected by the members thereof, present at the meeting, shall preside.

11. Managing Director of the Board.- (1) There shall be a Managing Director of the Board, who is an officer not below the rank of Joint Secretary or an expert in the water sector, appointed by the Government. Subject to the control and supervision of the Board, the Managing Director shall be the principal executive officer of the Board and shall be responsible for the custody and maintenance of all the records of the Board.

(2) Where any proceedings or resolution of the Board or any of its Committees or order of the Chairperson is inconsistent with the provisions of this Act, rules and regulations made thereunder, it shall be the duty of the Managing Director to render advice to the Board, or Committee or the Chairperson mentioning the relevant provisions of law to bring out the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder and record in the proceedings of the meeting of the Board or Committee or on the order of the Chairperson the fact that he had tendered such advice and thereupon put up a note of dissent on such proceedings, resolution, or as the case may be, the order and ensure the communication of the matter to the Government or any officer authorized by it in this behalf within seven days of passing such resolution or order, or as the case may be, undertaking such proceedings.

(3) If the Managing Director knowingly neglects his duty under sub-section (2) he shall be personally liable to any loss incurred by the Board as a result of the proceedings, resolution or

the order of the nature specified in that sub-section and such loss may be recovered from him.

(4) After examining the note of dissent reported under sub-section (2), the Government or the officer authorized by it in this behalf, may make such interim or final order as he thinks fit, which shall be binding on the Board:

Provided that if no such interim or final order is passed within a period of thirty days from the date of receipt of the dissent note, the Board may proceed with the proceedings or the resolution or, as the case may be, the order as if the dissent note was not put up.

(5) The Managing Director or any other officer authorized in this behalf by the Government shall have the power, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, to authenticate under his signatures all resolutions, all permissions which may be granted or given by the Board, Committee or order of Chairperson under this Act and no permission or order shall be legal and valid unless it has been so authenticated by the Managing Director or as the case may be, by such other officer.

(6) The Managing Director shall exercise such powers and discharge such duties as may be delegated to him by the Board or may be entrusted to him by the Government by a general or special order.

(7) All correspondence addressed to or meant for the Board shall ordinarily be sent in the name of the Managing Director but may also be sent to the Chairperson and all correspondence issued or made on behalf of the Board shall ordinarily be issued under the seal and signature of the Managing Director and may also be issued under the seal and signature of the Chairperson.

(8) The Managing Director shall supervise and control all the officers and employees of the Board.

12. Appointment of staff of the Board.- (1)The Board may, with the prior approval of the Government, appoint such number of officers and employees as it considers necessary for the performance of its duties and functions.

(2) The salaries and allowances payable to and other conditions of service of the officers and employees shall be such as may be determined by regulations made under this Act.

(3) The Government may, in consultation with the Board, appoint any Government officer or employee on deputation to the Board.

(4) The Board with the prior approval of the Government may also engage such experts and technical persons on contract basis as it considers necessary to carry out its functions under this Act.

13. Transfer of employees of local authorities or other Government employees to the Board.- (1) As from the date notified by the Government, all existing employees working within the Jaipur Urban Area in connection with water supply and sewerage management and belonging to Public Health Engineering Department, Local Authorities and other Government agencies, shall stand deputed to the Board. The deputation of such employees shall initially be for a period of five years and during the period of their deputation they shall be deemed to be employees of the Board with such designation and shall discharge such functions as the Board may determine. Such employees shall hold office at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, as they would have held if the Board had not been established and shall continue to do so until such remuneration and terms and conditions of service are duly altered by the Board. On expiry of the period of initial tenure of five years, such employees may be continued at their option as the employees of the Board or reverted to Public Health Engineering Department, Local Authority or Government agency , as the case may be. The other terms and conditions of service of officers and employees on transfer and on deputation to the Board shall be governed under the Rajasthan Service Rules and Finance Department Circular No. F.13(1)Fin/Rules/2003 dated 7.9.2006, as amended from time to time.

(2) No officer or employee on deputation to the Board shall be entitled to any deputation allowance.

(3) The salaries and allowances of officers or employees on transfer and deputation to the Board shall be paid by the Board.

(4) The terms and conditions of services of employees on deputation to the Board shall not be less advantageous than those applicable to them immediately before deputation and shall not be varied to their disadvantage except with the previous sanction of the Government.

14. Constitution of Tariff Committee and Project Formulation Committee.- (1) The Board shall constitute a Tariff Committee and a Project Formulation Committee consisting of its members and such other persons including elected representatives under the jurisdiction of the Board as the Government may suggest.

(2) The Tariff Committee shall assist the Board in the determination of tariff, rates, rentals, fees and such other charges assigned to the Board under this Act. The Project Formulation Committee shall assist the Board in planning and implementation of schemes and projects.

15. Constitution of other Committees.- (1) The Board may constitute other Committees for such purposes and functions as may be specified in the regulations.

(2) All the Committees constituted under the Act shall meet at such place and at such time, and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be provided by regulations.

(3) The members of the Committees may be paid such allowances for meeting the personal expenditure in attending the meetings and for attending to any other work of the Committees as may be prescribed.

CHAPTER – III

Contract, Finance, Accounts and Audit

16. Contract by or on behalf of the Board.- (1) The contracts by or on behalf of the Board shall be made in accordance with the following provisions, namely:-

- (a) every contract shall be made on behalf of the Board by the Managing Director and shall be in writing;

- (b) no such contract for any purpose which in accordance with any provision of this Act, the Managing Director may not carry out without the approval or sanction of Board or Government, shall be made by him until or unless such approval is granted;
- (c) the Managing Director may sanction any estimate or contract including that of technical and administrative nature involving such amount, as may be prescribed; and
- (d) all other estimates or contracts shall be sanctioned by the Board.

(2) Subject to provisions of any other law for the time being in force, the manner and procedure for giving contracts by the Board, shall be such as may be prescribed.

17. Financial assistance from Government.- (1) The Government may, from time to time, give grants or financial assistance to the Board with or without direction as to the manner in which such grants or financial assistance shall be applied.

(2) The Government may, for giving such grants or assistance, lay down a scheme, which may include the conditions of release of such grants or financial assistance.

18. Fund of the Board.- (1) The Board shall constitute a fund to be known as the Jaipur Water Supply and Sewerage Board Fund to which shall be credited all moneys received by the Board. This fund shall be utilized strictly for the purposes of this Act and not otherwise.

(2) Subject to such directions as the Government may issue in this behalf, the receipts and expenditures of the Board shall be kept under such heads of accounts, including those for water supply and sewerage and other account heads as may be prescribed and the general account head, in such manner, and in such form, as may be prescribed.

(3) Every head of account specified under sub-section (2) of this section shall be split up into a revenue account and a capital account and all items of receipts and expenditures shall be kept appropriately under such revenue account or capital account, as the case may be.

19. Application of Funds.- The moneys credited to the fund from time to time shall be applied for payment of all sums, charges and costs necessary for carrying out the purposes of this Act and the rules made thereunder and for payment of all sums payable out of the Fund under any other law for the time being in force.

20. Temporary payment from the Fund for works urgently required in public interest.- (1) On a requisition, in writing, by the Government, the Board may, at any time, require the Managing Director to undertake the execution of any work certified by the Government to be urgently required in the public interest and, for this purpose, to make payment for such work from the fund in so far as such payment may be made without unduly interfering with the regular work of the Board.

(2) The cost of all work so executed, and the proportionate establishment charges for executing such work, shall be paid by the Government and credited to the Fund.

21. Power to incur expenditure beyond the limits of Board.-Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the Board may, with the approval of the Government, authorize expenditure to be incurred, beyond the limits of the Jaipur Urban Area, for creation and maintenance of physical assets for carrying out the purposes of this Act.

22. Exclusive use of the Fund for particular purpose.-Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the Government may, by order, require the Board to earmark a particular portion of the Fund or a particular grant or a part thereof, or any item of receipt under any head of account, or any percentage thereof, or any share of amounts receivable by the Board other than tariff, rates, rentals, fees and such other charges assigned to the Board under this Act or any part thereof, to be utilized exclusively for such purpose related to functions as may be specified by the Government, and it shall be the duty of the Board to act accordingly.

23. Operation of accounts.- Subject to the other provisions of this Act, payment from the Fund shall be made in such manner as may be prescribed.

24. Investment of surplus moneys.- (1) The surplus moneys standing at the credit of any of the heads of accounts of the

Fund which are not required, either immediately or at any early date, to be applied for the purposes of this Act by the Board may, in accordance with the rules made by the Government, be transferred by the Board, either in whole or in part, to any other head of account of the Fund.

(2) The surplus moneys which are not transferred under sub-section (1) may be invested in public securities or small savings schemes, approved by the Government, or deposited at interest with such scheduled bank or co-operative bank as may be determined by the Board.

25. Preparation of budget estimate of Board.- The budget estimate shall be prepared and presented to the Board by the Managing Director in such form and manner as may be prescribed.

26. Sanction of budget estimate of Board.- The Board shall consider the budget estimate in each year, and shall adopt the budget estimate for the ensuing year with such changes as it may consider necessary, and submit a copy of the same to the Government and if, after considering the budget estimates, the Government is of the opinion that it is necessary in the interest of the Board to make changes in the budget estimates, it may direct the Board to carry out the changes and such directions shall be binding on the Board.

27. Power to alter budget grant.- The Board may, with the prior approval of the Government from time to time, during the financial year-

- (a) increase the amount of any budget grant under any head;
- (b) make an additional budget grant for the purpose of meeting any special or unforeseen requirement arising during the said year;
- (c) transfer the amount of any budget grant or portion thereof under one head to the amount of budget grant under any other head; or
- (d) reduce the amount of the budget grant under any head.

28. Power of Board to borrow.- With the previous sanction of the Government and subject to the provisions of this Act and rules made thereunder and subject to such conditions as may be specified by the Government by a general or a special order issued in this regard, the Board may from time to time borrow any sum required for the purposes of this Act through loans or debentures or bonds or such other instruments, as it may deem fit. All such instruments shall be issued, transferred, dealt with and redeemed in such manner as may be prescribed.

29. Guarantee of loans.- The Government may guarantee the payment of the principal or interest or both, of any loan proposed to be raised by the Board under section 28 of the Act.

30. Depreciation Reserve.- The Board shall create a Depreciation Reserve and make annual provision therefor in accordance with such principles as may be prescribed.

31. Improvement Reserve.- The Board shall create a reserve for improvement works and shall utilize the same in accordance with such principles as may be prescribed.

32.Accounts and audit.- (1) The Board shall keep accounts in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Board shall be subject to audit by the Director, Local Fund Audit Department in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954).

(3) The Board shall pay from the Fund such charges for the audit as may be prescribed.

33. Annual Report.- (1) The Board shall prepare at the end of each financial year, a report of its activities during the previous year and submit it to the Government before the 30th day of September of the current year.

(2) The Government shall cause such annual report including the statement of accounts to be laid before the House of the State Legislature.

CHAPTER – IV
Powers, Functions and Duties of the Board

34. Powers of the Board.- (1) The Board shall, subject to other provisions of this Act, have powers to do anything that may be necessary or expedient for performing its duties and discharging its functions under this Act within its jurisdiction.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Board shall for the purpose of carrying out its functions under this Act have the following powers, namely:-

- (a) to prepare, plan, execute, promote and finance schemes and projects for the development and management of water supply and sewerage systems;
- (b) to acquire land and hold movable and immovable property as it deems necessary and lease, sell or otherwise transfer any such property subject to conditions prescribed;
- (c) to abstract, treat, supply and distribute water in the prescribed manner and also where necessary treat, supply and distribute recycled water in accordance with the prescribed standards;
- (d) to lay mains, service pipes and communication pipes and provide for fire hydrants stopcocks, water meters, etc. in the prescribed manner;
- (e) to inspect all water supply and sewerage systems;
- (f) to construct, operate, maintain, supply and regulate water supply and in this regard place and maintain supply pipes, conduits and lines of mains or pipes over, under, along or across any immovable property whether within or without the limits of the Jaipur Urban Area by acquiring right of user in the property in the prescribed manner;
- (g) to construct, operate, maintain and regulate sewerage systems and in this regard lay sewers sewage treatment works, lay service pipes, close or limit the use of private drains or may place or maintain or construct sewers and sewage treatment

works over, under, along or across any immovable property whether within or without the limits of the Jaipur Urban Area, by acquiring right of user in the property in the prescribed manner;

- (h) to plan for, regulate the use of, and to manage, abstraction of, raw water, ground water and supply of treated wastewater in the prescribed manner;
- (i) to render all necessary services in regard to water supply and sewerage management to the Government, local authorities, corporation, any other Government entity and on request, to private institutions and individuals;
- (j) to seek any data or information as deemed necessary, from the local authorities and other agencies operating within its jurisdiction, for the proper discharge of its functions under this Act;
- (k) to assess, fix and revise from time to time, the tariff, rates, rentals, fees and such other charges for water supply and sewerage services and all other kinds of services rendered by the Board under this Act; and the said tariff, rates, rentals, fees and such other charges shall be fixed with the previous approval of the Government;
- (l) to levy and appropriate tariff, rates, rentals, fees and such other charges for the services rendered;
- (m) to enter into a contract for carrying out its duties and functions under this Act;
- (n) to prepare, consider and approve the annual budget and submit it to the Government;
- (o) to borrow money, issue debentures, obtain subventions, capital contributions, loans and grants, etc.;
- (p) to grant loans and advances to such persons or authorities as the Board may deem necessary for performing its functions;
- (q) to accept donations and grants as approved by the Board;

- (r) to provide bulk water hauling to any Government, local authority, institution or individual during an emergency situation such as drought, water shortage, pump failure or power failure or water quality problem, etc.;
- (s) to provide training for its own personnel or other persons engaged in the water supply and sewerage services;
- (t) to enter into an agreement on public private partnership basis in the manner prescribed with any individual, company, firm, society, trust or a Government agency or any other agency to execute any type of project relating to water supply and sewerage services, collect and retain user charges for such services;
- (u) to establish, operate, run and maintain any water works and sewerage system, if and when so directed by the Government, on such terms and conditions and for such period as may be specified by it; and
- (v) to exercise such powers as are conferred on the Board under other provisions of this Act.

35. Functions and duties of the Board.- (1) The Board shall be charged with the general duty of providing water supply and improving the existing water supply and making adequate provisions for the sewerage management and disposal in the Jaipur Urban Area for the efficient discharge of such duty and shall perform such functions and duties as are conferred or imposed by or under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board shall have the following functions and duties, namely:-

- (a) supply wholesome water in the Jaipur Urban Area as per Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) or Bureau of Indian Standards (BIS) or standards determined in consultation with State Pollution Control Board or standards fixed by Public Health Engineering Department, including planning, designing,

constructing, maintaining, operating and managing the water supply systems;

- (b) to provide sewerage, sewage disposal and sewage treatment works including planning, designing, constructing, maintaining, operating and management of all sewerage and sewage treatment works including supply and safe disposal of treated waste water in the Jaipur Urban Area;
- (c) at the instance of the Government or a local authority or *suo motu*, to investigate the nature and types of schemes that can be implemented for the provision of drinking water or sewerage systems within the Jaipur Urban Area and prepare and carry out such schemes;
- (d) to estimate, finance, design, construct, alter, repair, operate and maintain the schemes for water supply and sewerage systems;
- (e) to make provisions for unfiltered water meant for purposes other than drinking water;
- (f) to promote measures for conversion, recycling and reuse of water;
- (g) to provide meters and carry out services like meter reading, billing and revenue collection;
- (h) with the prior approval of the Government, to entrust any of its functions referred to in this section to a local authority, research institute, Government undertaking, limited company, registered society, trust, partnership firm, proprietorship firm, or such other legal entity;
- (i) to provide technical assistance or give advice to any agency in the execution and maintenance of water supply and sewerage systems;
- (j) to review annually the technical, financial, economic and other aspects of water supply and sewerage systems; and
- (k) to perform such other functions as may be necessary or conducive to the objects of this Act.

CHAPTER – V
Water Supply

36. Water supply for domestic purpose not to include any supply for certain specified purposes.- The water supply for domestic purpose under this Act shall not be deemed to include any supply for commercial or industrial purpose and in particular any supply-

- (a) for any trade, manufacture or business;
- (b) for gardens or for purpose of irrigation;
- (c) for building purposes;
- (d) for fountains, swimming baths, public baths or tanks or for any ornamental or mechanical purposes;
- (e) for animals, where they are kept for sale or hire or for the sale of their produce or any preparation therefrom;
- (f) for the consumption and use by the inmates, in hotels, commercial boarding houses and residential clubs;
- (g) for the consumption and use by the persons visiting to theatres and cinemas;
- (h) for construction or for watering streets; or
- (i) for washing vehicles where they are kept for sale or hire; but shall be deemed to include a supply-
 - (I) for flushing latrines and drains; and
 - (II) for all baths other than swimming baths or public baths.

37. Water supply for domestic purpose not to be used for non-domestic purpose.- No person shall, except in such circumstances or subject to such conditions as may be prescribed, use or allow to be used the water supply for domestic purpose, for any purpose other than domestic purpose.

38. Water supply for non-domestic purposes.- An authorized officer of the Board may supply water for any purpose other than a domestic purpose, on such terms and conditions consistent with this Act and the regulations made thereunder.

39. Providing public water supply system.- (1) The Board may, subject to the payment by a local authority of such charges as may be determined by the Board, provide gratuitous supply of wholesome water to the public within Jaipur Urban Area and may for that purpose, erect public stand posts or other conveniences.

(2) Any such public stand posts or other conveniences provided under sub-section (1) above may be closed by the Board in consultation with the local authority concerned if such facilities are no longer required for the purpose of supply of wholesome water to the public.

40. Power to cut off water supply.- (1) The Board may cut off the water supply except the water supply provided for general public from any premises,-

- (a) if the owner or occupier neglects to comply with any lawful order or requisition regarding water supply issued by the Board within the period specified therein;
- (b) if any fee, rental, charges or any other sum due for water supply or for the cost of making connection or the hire of a meter or the cost of carrying out any work or test connected with the water supply which is chargeable to any person by or under this Act is not paid within fifteen days after a bill for such fee, rental, charges or sums has been presented or served;
- (c) if after receipt of a notice from the Board requiring him to refrain from so doing, the owner or occupier continues to use the water or to permit it to be used in contravention of the provisions of this Act or any rule made thereunder;
- (d) if the owner or occupier wilfully or negligently damages the meter or any pipe or tap conveying water;
- (e) if the owner or occupier refuses to admit the officer or person authorized by the Board in this behalf into the premises which he proposed to enter for the purpose of executing any work or placing or

removing any apparatus or making any examination or enquiry in connection with the water supply or prevents such officer or person from executing such work, or placing or removing such apparatus or making such examination or enquiry;

- (f) if any water fittings, connected with the water supply are found on examination by any officer or person authorized by the Board to be out of repair to such an extent as to cause waste or contamination of water;
- (g) if the owner or occupier causes pipes, taps, works or fitting connected with the water supply to be placed, removed, repaired, or otherwise interfered with a contravention of the provisions of this Act or of the rules or regulations made thereunder; and
- (h) if the consumer fails to provide proper disposal or treatment of the used water from his premises, in accordance with the provisions of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 6 of 1974) or any other law for the time being in force:

Provided that the Board shall not cut off the water supply unless notice of not less than three days has been given to the owner or occupier of the premises, except in cases involving contamination of water supplies, where no such notice need to be given.

(2) (a) The owner and the occupier of the premises shall be jointly and severally liable for the payment of all the sums referred to in clause (b) of sub-section (1);

(b) The sums referred to in clause (a) shall be a charge on the premises.

(3) The expenses of cutting off the supply shall be payable by the owner and occupier of the premises jointly and severally.

(4) In a case under clause (b) of sub-section (1) as soon as any money for non-payment of which water has been cut off, together with the expenses of cutting off the supply, including any

penalties levied thereon has been paid by the owner or occupier, the Board shall cause water to be supplied as before, on payment of the cost of re-connecting the premises with the water works.

(5) The action taken under this section against any person shall be without prejudice to any penalties to which he may otherwise be liable.

CHAPTER – VI

Sewers and Sewerage Management

41. Certain matters not to be passed into Board sewers and sewage treatment works.- (1) Save as otherwise provided in the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 6 of 1974), relating to discharge and disposal of industrial effluents and other objectionable effluents, no person shall throw, empty, or turn into any Board sewers, any matter that damage or interfere with the free flow of its contents or prejudicial to the health.

(2) The Board shall ensure that the sewage or effluent from the Board sewer or any private sewer or drain connecting to the Board sewer are not emitted, discharged, seeped, leaked or otherwise escaped from the Board sewer or any part thereof into a piped water supply, well water supply, a watercourse, ground water or surface water or onto the surface of the ground so as to cause any hazard to health or environment.

42. Construction and maintenance of sewers and sewage disposal works.- The Board shall maintain and keep in repair all Board sewers and sewage disposal works and shall construct as many new drains and sewage disposal works as may from time to time be necessary for effectual sewerage and sewage disposal within its jurisdiction.

43. Charges towards the use of Board sewerage system.- Every occupier of both domestic and non-domestic premises shall pay to the Board charges at such rate as may be prescribed, to defray the capital cost of sewerage and sewage treatment works undertaken by the Board and the operation and maintenance of the sewerage system from time to time:

Provided that no such charges shall be levied in any premises situated in the areas which are not served by the sewerage system of the Board.

44. Right of owner or occupier to obtain sewer connection.- The owner or occupier of any premises shall be entitled to empty sewage of the premises into a sewer of the Board:

Provided that before doing so, he shall-

- (a) obtain written permission of the Board and pays connection fee and other charges as may be prescribed;
- (b) comply with such conditions as may be prescribed.

45. Drainage of undrained premises.- Where any premises are, in the opinion of the Board, without sufficient means of effectual drainage and a Board sewer or the place approved by the Board for the discharge of filth and other polluted and obnoxious matter is situated at a distance of not exceeding thirty-five meters from any part of the said premises, it may, by written notice, require the owner of the said premises to have sewer connection and if he fails to do so, the Board shall cause to make such connection and the owner shall be liable to pay the charges incurred by the Board.

46. New premises not to be erected without drains or sewers.- (1) It shall not be lawful to erect or re-erect any premises or occupy such premises, any part of which is situated within a distance of thirty-five meters from a Board sewer unless a drain or sewer necessary for the purposes of gathering or receiving the filth and other polluted and obnoxious matter from, and conveying the same off, the said premises is constructed to the satisfaction of the Board for effectual flushing the drain of the said premises.

(2) The drain so constructed shall empty into a Board sewer.

47. Power to drain group or block of premises by combined operations.- If it appears to the Board that any group or block of premises may be drained more economically or advantageously in combination than separately, and a Board sewer of sufficient size already exists or is about to be constructed within thirty-five meters of any part of that group or block of premises, the Board may cause that group or block of premises to be drained by a combined operation in such manner as may be prescribed.

48. Power of Board to close or limit the use of private drains in certain cases.- Where in the opinion of the Board, a

drain connecting any premises with a Board sewer is not adapted to the general system of sewerage in the Jaipur Urban Area, it may, by written notice addressed to the owner of the premises, direct such drain to be closed, discontinued or destroyed. In such cases, the Board shall, at its own cost, provide another drain equally effectual for the drainage of the premises and communicating with any Board sewer.

49. Sewage and rain water drains to be distinct.-

Whenever it is provided in this Act that steps shall or may be taken for the effectual drainage of any premises, it shall be competent to the Board to require that there shall be one drain for filth and polluted water and an entirely distinct drain for rain water and unpolluted sub-soil water or both rain water and unpolluted sub-soil water, each emptying into separate Board sewer or other suitable places.

50. Connection with sewers and sewage treatment works not to be made without permission.-

No person or any local authority as the case may be, shall for any purpose whatsoever, at any time make or cause to be made any connection or communication with the sewerage or sewage treatment works, except with the written permission of the Board or an officer authorised by it in this behalf and subject to such terms and conditions as may be prescribed therefor.

51. Buildings and private streets not to be erected or constructed over Board sewerage line or sewage treatment works.-

Without the written permission of the Board no private street or building or wall or fence or other structure shall be erected or constructed on any Board sewerage line or sewage treatment works. Any contravention of this section shall entitle the Board to remove such erection or construction or otherwise deal with the same as it thinks fit and recover the expenses in connection thereto from owner of the private street or of the building, or wall or fence or other structure, as the case may be.

52. Power to affix shafts, etc., for ventilation of sewer or cesspool.-

For the purpose of ventilating any sewer or cesspool, whether vested in the Board or not, the Board may, in accordance with regulations made in this behalf, erect upon any premises or affix to the outside of any building or to any tree any such shaft or pipe as may appear to it to be necessary.

53. Power to examine and test sewers, etc., believed to be defective.- (1) Where it appears to the Board that there are reasonable grounds for believing that a private sewer or cesspool is in such condition as to be prejudicial to health or a nuisance or that a private sewer communicating directly or indirectly with a Board sewer is so defective as to admit sub-soil water, it may examine its condition and for that purpose may apply any test, other than a test by water under pressure, and if it deems it necessary, open the ground.

(2) If on examination, the sewer or cesspool is found to be in proper condition, the Board shall, as soon as possible, reinstate any ground which has been opened by it and make good the damage done by it.

54. Powers to disinfect tanks, pools and wells.- Any officer or servant authorized by the Board in that behalf may have any tank, pool or well, cleaned or disinfected after giving notice to the owner or occupier, if any, when it appears that such cleaning or disinfection will prevent or check the spread of any dangerous disease, the cost of cleaning or disinfection shall be recoverable by the Board from the owner or occupier of such tank, pool or well.

CHAPTER – VII

Transfer of assets and liabilities to the Board

55. Transfer of assets and liabilities of local authorities to the Board.- (1) Subject to other provisions of this Act, all assets, liabilities and funds, if any, of the local authorities shall stand transferred to, and vest in the Board from such date as may be notified.

(2) Where any water works situate outside Jaipur Urban Area is utilised partly for water supply for that area and partly for other areas or purposes, the Board and the Government shall enter into an agreement not later than three months from the date of coming into force of this Act specifying the nature and extent of the Board's control over such works, the quality and quantity of water to be supplied for that area and other matters connected therewith provided that in the absence of such agreement or until such time as such agreement is reached, the Government shall be responsible for the continuance and maintenance of the

arrangements and works in existence on the date of coming into force of this Act.

(3) The assets transferred to the Board shall include all works in progress and all water works and sewerage works situated in or outside Jaipur Urban Area and connected with the services aforesaid.

56. Local authorities to furnish information to the Board.- Within thirty days of establishment of Board, the local authorities shall furnish the following information to the Board, namely:-

- (a) description and details of all the assets and liabilities transferred to the Board under this Act;
- (b) details about contracts, projects, schemes undertaken by the local authorities and which are transferred to the Board under this Act; and
- (c) particulars about the legal proceedings by or against them in connection with any assets or liabilities transferred to the Board under this Act and pending as on the date of establishment of the Board.

57. Duty to deliver property or assets to the Board.- Where any property or assets have been transferred to and vested in the Board under sub-section (1) of section 55, then-

- (a) every person, in whose possession, custody or control any such property or assets may be, shall deliver the property or assets to the Board forthwith;
- (b) any person who on the notified date, has in his possession, custody or control any papers, books, documents, registers, records, or any property of whatever nature, relating to the water supply and sewerage systems referred to in sub-section (2) of section 55 shall be liable to deliver them to the Board or to such person as the Board may direct.

58. Continuance of existing contracts, legal proceedings, notifications, orders etc.- (1) Any notification, order, scheme, rule, form or notice made or issued, and any permit or permission granted by local authorities in so far as it relates to water supply or sewerage service in or for the purpose of the Jaipur Urban Area,

shall continue in force and be deemed to have been made, issued or granted under the provisions of this Act, unless and until it is superseded by any notification, scheme, order, rule, regulation, form or notice made or issued or any permit or permission granted under this Act.

(2) All obligations and liabilities incurred, all contracts entered into, all matters and things engaged by, with, or for local authorities, before the notified date in connection with the water supply or sewerage service in or for the purpose of the Jaipur Urban Area, shall be deemed to have been incurred, entered into or engaged by, with, or for the Board.

(3) All suits, prosecutions, appeals or other legal proceedings of whatever nature instituted or which might have been instituted by or against the local authorities, in so far as they relate to the assets and liabilities transferred to the Board under section 55, may be continued or instituted by or against the Board.

CHAPTER – VIII ***Offences and Penalties***

59. Waste or misuse of water.- (1) No owner or occupier of the premises to which water is supplied by the Board shall cause or suffer any water to be wasted or misused or suffer the service pipe or any tap or other fitting or work connected therewith to remain out of repair so as to cause wastage of water.

(2) Whenever the Board has reason to believe that as a result of defect in a service pipe or tap or other water fittings or works connected therewith water is being wasted, the Board may, by return notice require the consumer to repair and make good the defect within such time as may be prescribed.

(3) If such repair is not carried out within the specified time, the Board may, without prejudice to any action against the consumer under any other provision of this Act cause such repair to be made. The cost of such repair shall be realized from the consumer.

(4) Whoever continues to waste or misuse water, he shall on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or a

daily fine of rupees one thousand per day or maximum of rupees ten thousand.

60. Use of water supplied for domestic purposes, for non-domestic purposes.-Whoever uses or allows to use, the water supplied for domestic purposes, for non-domestic purposes shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.

61. Damage or interference with free flow of contents of Board sewer or sewers communicating with Board sewers.-Whoever contravenes the provisions of section 41 shall on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.

62. Connection with Board sewers without written permission.-Whoever contravenes the provisions of section 50 shall on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.

63. Private drain not to be connected with Board sewers without written permission.-Whoever contravenes the provisions of section 44 shall on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.

64. Erection or construction of building or private street over the Board's sewerage line or sewerage treatment works.-Whoever contravenes the provisions of section 51 shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.

65. Non-compliance with requisition to close, remove or divert a pipe or drain.-Whoever contravenes the provisions of section 48 shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which

may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.

66. Licensed Engineer or Licensed Plumber not to contravene regulations or demand charges more than that prescribe.- Whoever contravenes the provisions of section 73 shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or upto a maximum fine of rupees ten thousand.

67. Penalty for certain acts prohibited.- Whoever contravenes the provisions of section 74, shall be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a fine which may be extend to rupees ten thousand.

68. Penalty for obstructing entry.- Whoever-

- (a) obstructs the entry of any person empowered under the provisions of this Act upon any land or building;
- (b) resists or obstructs any member, employee or servant of a Board or any employee of the Government in exercise of any power conferred on, or in the discharge of any duty imposed upon, or in the performance of any function entrusted to him; or
- (c) restricts or obstructs any person with whom a Board or the Government or an officer of the Government, has entered into a contract,

shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

69. General provision for punishment of offences.- Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder, for which no specific penalty is provided for, shall, for the contravention, be punished,-

- (a) for the first offence, with fine which may extend to five thousand rupees; and

- (b) for a second or any subsequent offence, with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.

70. Offence by companies.- (1) Where an offence has been committed by a company under this Act, every person, who at time the offence was committed was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or, is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section-

- (a) “company” means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) “director” in relation to a firm means a partner in the firm.

71. Cognizance of offences.-No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rule or regulation made thereunder, or except upon a complaint in writing of the facts constituting such offence made by the Board, or by a person expressly authorised in this behalf by the Board:

Provided that the Board shall also be given due notice of such proceedings and if the Board removes the cause for action within a reasonable period, the proceedings in the court shall abate without prejudice to any other action or proceedings that the Board has initiated or may initiate thereafter.

CHAPTER – IX*Miscellaneous*

72. Disputes with local authority.- Notwithstanding anything contained in any Rajasthan Law, any dispute relating to territorial or functional jurisdiction between the Board and any local authority, if not amicably settled, shall be referred to the Government and the decision of the Government thereon shall be final.

73. Works to be done by Licensed Engineer or Plumber.- (1) No person other than an Engineer or a Plumber Licensed by the Board or an officer authorised by the Board in this behalf shall issue a certificate for the execution of the work under this Act relating to water and sewerage connection to a premises:

Provided that if, in the opinion of the officer authorized in this behalf by the Board, the work is of a trivial nature, he may grant permission in writing for the execution of such work by a person other than a Licensed Engineer or Plumber.

(2) No water and sewerage connection shall be given to the owner or occupier of premises unless the internal water and sewerage connection of such premises has been duly executed by the Licensed Engineer or Plumber:

Provided that, such certificate shall not be necessary in respect of trivial nature of work as provided by the regulations as may be made in this behalf.

(3) The Board may-

- (i) make regulations for compliance by the Licensed Engineers or Plumbers and a copy of all such regulations shall be attached to every licence granted to an Engineer or a Plumber by the Board;
- (ii) prescribe from time to time, the charges to be paid to the Licensed Engineer or Plumber;
- (iii) in addition to the prosecution under this Act, suspend or cancel the licence of any Licensed Engineer or Plumber who contravenes the provisions of this section.

74. Prohibition of certain acts.- No person shall-

- (a) wilfully obstruct any person acting under the authority of the Board in setting out the lines of any works or pull up or remove any pillar, post or stake fixed in the ground for the purpose of setting out lines of such work, or deface or destroy any works made for the same purpose; or
- (b) wilfully or negligently break, injure, turn on, open, close, shut off or otherwise interfere with any lock, cock, valve, pipe, meter or other works or apparatus belonging to the Board and pertaining to its duties and functions under this Act; or
- (c) unlawfully obstruct the flow of or flush, draw off, divert or take, water from any water course or waterworks belonging to the Board by which any such water is supplied; or
- (d) unlawfully obstruct the flow of or flush, draw off, divert or take sewage from any sewage works belonging to the Board; or
- (e) obstruct any officer or other employee of the Board in the discharge of his duties under this Act or refuse or wilfully neglect to furnish him with the means necessary for the making of any entry, inspection, examination or inquiry thereunder in relation to any water and sewage work; or
- (f) bathe, at or upon any waterworks, wash or throw or cause to enter therein any animal or throw any rubbish, dirt or filth into any waterworks or any polluted water to turn or be brought into any waterworks, or do any other act whereby the water or any waterworks is fouled or likely to be fouled; or
- (g) except with the previous permission duly obtained from the Board or any other officer authorized by the Board, in this behalf, enter on land vested in the Board, erect any building, wall or other structure over such land.

75. Directions by the Government.- (1) In the discharge of its functions, the Board shall be guided by such directions on question of policy as may be given to it by the Government.

(2) In the case of any difference of opinion as to what is a question of policy, the decision thereon of the Government shall be final.

76. Power of entry.- (1) The Board may authorise any person to enter into or upon any land or building with or without assistants or workmen for the purpose of,-

- (a) preparation of any plans or schemes required under this Act, carrying out any surveys, inspection, making any measurement or taking levels of such land or building;
- (b) digging or boring into the sub-soil;
- (c) setting out boundaries and intended lines of works;
- (d) making such levels, boundaries and lines by placing mark, and cutting trenches;
- (e) examining works under construction and ascertaining the course of sewers and drains;
- (f) making any enquiry, inspection or search for ascertaining contravention of this Act or the rules and regulations made thereunder; or
- (g) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act:

Provided that-

- (I) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice at least of twenty four hours to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or building; and
- (II) intimation shall be given in every instance to enable the inmates of any apartment appropriated to females to shift to such part where their privacy may not be disturbed.

(2) It shall be lawful for any person authorized under subsection (1) to make an entry for the purpose of inspection or search and to open or cause to be opened a door, gate or other barrier,-

- (a) if he considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry, inspection or search; and
- (b) if the occupier is absent or, being present, refuses to open such door, gate or barrier.

(3) If any damages are or are likely to be caused to any owner or occupier of any land or building in carrying out any of the functions under sub-section (1), the person so authorized shall at the time of such entry pay or tender payment of such damages to the owner or occupier and in case of dispute as to sufficiency of the amount so paid or tendered, he shall at once refer the dispute to the appellate authority and the decision of the appellate authority thereon shall be final.

77. Service of notice, etc.- (1) All notices, bills, summons and other documents required by this Act or any regulation made thereunder to be served upon, or issue to, any person, shall be served or issued by such persons as may be authorized by the Board.

(2) Every notice, bill, summon, order, requisition or other document required or authorised by this Act or any rule or regulation made thereunder to be served or issued on any person shall, save as otherwise provided in this Act or such rule or regulation, be deemed to be duly served-

- (a) where the person to be served is a company, if the document is addressed to the Secretary of the Company at its registered office or at its principal office or place of business and is either-
 - (I) sent by registered post; or
 - (II) deliver at the registered office or at the principal office or place of business of the Company;
- (b) where the person to be served is a partnership, if the document is addressed to the partnership at its principal place of business, identifying it by the name and style under which its business is carried on, and is either-
 - (I) sent by registered post; or
 - (II) delivered at the said place of business;

(c) where the person to be served is a public body or a corporation, society or other body, if the document is addressed to the secretary, treasurer or other head of office of that body, corporation or society at its principal office, and is either-

(I) sent by registered post; or

(II) delivered at that office;

(d) in any other case, if the document is addressed to the person to be served and-

(I) is given or tendered to him;

(II) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place or residence or business if within the State or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building, if any to which it relates; or

(III) is sent by registered post to that person.

(3) Any document which is required or authorized to be served on the owner or occupier of any land or building may be addressed as, 'the owner' or 'the occupier' as the case may be, of that land or building (identifying that land or building) without further name of description, and shall be deemed to be duly served-

(a) if the document so addressed is sent or delivered in accordance with clause (d) of sub-section (2) of this section ; or

(b) if the document so addressed or a copy thereof so addressed is delivered to some person on the land or building or, where there is no person on the land or building to whom it can be delivered is affixed on some conspicuous part of his land or building.

(4) Where a document is served on a partnership in accordance with this section, the document shall be deemed to be served on each partner.

(5) For the purpose of enabling any document to be served on the owner of any premises any other officer authorized or

empowered to do so may by notice in writing require the occupier of the premises to state the name and address of the owner thereof.

(6) Where the person on whom a document is to be served is a minor, the service upon his guardian or any adult member of his family shall be deemed to be served upon the minor.

(7) A servant is not a member of the family within the meaning of this section.

78. Service of bills for charges or notice of demand by ordinary post.- Notwithstanding anything contained in section 77, a bill for any charges or a notice of demand may be served by sending it by ordinary post with a pre-paid letter under a certificate of posting addressed to the appropriate person specified in section 77, at his last known place of residence or business and in proving the service of every bill or notice so sent it shall be sufficient to prove that the letter was properly addressed and posted under a certificate of posting.

79. Power in case of non-compliance with notice etc.- In the event of non-compliance with the terms of any notice, order or requisition issued to any person under this Act or any rule or regulation made thereunder, requiring such person to execute any work or to do any act, it shall be lawful for the authority or officer at whose instance the notice, order or requisition has been issued, whether or not the person in default is liable to punishment for such default or has been prosecuted or sentenced to any punishment therefor after giving notice in writing to such person, to take such action or such steps as may be necessary for the completion of the act or the work required to be done or executed by such person and all the expenses incurred on such account shall be payable to the Board on demand and if not paid within ten days after such demand, shall be recoverable as an arrear of charges payable under this Act.

80. Execution of work by occupier in default of owner and deduction of expenses from rent.- Whenever the owner of any land or building fails to execute any work which he is required to execute under this Act or any rule or regulation made thereunder, the occupier, if any, of such land or building may, with the approval of the Board, execute the said work and he shall, subject to any contract between the owner and occupier to the contrary, be entitled to recover from the owner the reasonable

expenses incurred by him in the execution of the work and may deduct the amount thereof from the rent payable by him to the owner.

81. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, as occasion requires, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the purposes of this Act, as appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under this section shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

82. Consult and seek approval of the Board.- As the Board is responsible to discharge its functions under this Act within its jurisdiction, all other agencies shall consult and seek approval of the Board while planning any schemes or projects with regard to water works and sewerage works within the Jaipur Urban Area.

83. Powers with respect to prosecuting for offences.- The Board may—

- (a) compromise with any person who in the opinion of the Board has committed an offence punishable under this Act or any rules made thereunder and on such compromise no proceedings shall be taken against such person in respect of such offence;
- (b) withdraw prosecutions under this Act or any rules made thereunder;
- (c) compound any offence under this Act or any rules made thereunder which may, by rules made by the Government, be declared compoundable:

Provided that the Government may make rules to regulate the proceedings of persons empowered to compromise offences under this section.

84. Damage of Board property how made good.- If through any act, neglect or default, on account whereof any person shall have incurred any penalty imposed by or under this Act, and any damage to the property to the Board shall have been committed by such person, he shall be liable to make good such damage as well as to pay such penalty, and the amount of damage shall, in case of dispute, be determined by the Magistrate by whom the person incurring such penalty is convicted, and in case of non-payment of such damage on demand, the same shall be levied by distress, and such Magistrate shall issue his warrant accordingly.

85. Power of the Board to manage water supply and sewerage assets of private entity.- The private entity may in the manner prescribed, request the Board to takeover and manage its water supply and sewerage assets. The Board may on receiving such request takeover and manage the water supply and sewerage assets of the private entity and may collect such fees from the private entity as may be agreed through agreement with them.

86. Mode of recovery of dues.- (1) Where any amount payable by a person to the Board under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder is not paid, the Managing Director shall proceed to recover the amount by one or more of the following modes, namely:-

- (a) the Managing Director may deduct or may require any other specified officer to deduct the amount so payable from any money owing to such person which may be under the control of the Managing Director or such other specified officer;
- (b) the Managing Director may recover or may require any other specified officer to recover the amount so payable by detaining and selling any goods belonging to such person which are under the control of the Managing Director or such other specified officer;
- (c) (i) the Managing Director may, by a notice in writing, require any other person from whom money is due or may become due to such person or who holds or may subsequently hold money for or on account of such person, to pay to the

Government either forthwith upon the money becoming due or being held, or within the time specified in the notice not being before the money becomes due or is held, so much of the money as is sufficient to pay the amount due from such person or the whole of the money when it is equal to or less than that amount;

- (ii) every person to whom the notice is issued under sub-clause (i) above shall be bound to comply with such notice, and in particular, where any such notice is issued to a post office, banking company or an insurer, it shall not be necessary to produce any pass book, deposit receipt, policy or any other document for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before payment is made, notwithstanding any rule, practice or requirement to the contrary;
- (iii) in case the person to whom a notice under sub-clause (i) has been issued, fails to make the payment in pursuance thereof to the Board, he shall be deemed to be a defaulter in respect of the amount specified in the notice and all the consequences of this Act or the rules made thereunder shall follow;
- (iv) the officer issuing a notice under sub clause (i) may, at any time, amend or revoke such notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice;
- (v) any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-clause (i) shall be deemed to have made the payment under the authority of the person in default and such payment being credited to the Board shall be deemed to constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the person in default to the extent of the amount specified in the receipt;

- (vi) any person discharging any liability to the person in default after service on him of the notice issued under sub-clause (i) shall be personally liable to the Board to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the person in default for principal amount due, interest and penalty, whichever is less;
- (vii) where a person on whom a notice is served under sub-clause (i) proves to the satisfaction of the officer issuing the notice that the money demanded or any part thereof was not due to the person in default or that he did not hold any money for or on account of the person in default, at the time the notice was served on him, nor is the money demanded or any part thereof, likely to become due to the said person or be held for or on account of such person, nothing contained in this section shall be deemed to require the person on whom the notice has been served to pay to the Board any such money or part thereof;
- (d) the Managing Director may, in accordance with the rules to be made in this behalf, distrain any movable or immovable property belonging to or under the control of such person, and detain the same until the amount payable is paid; and in case, any part of the said amount payable or of the cost of the distress or keeping of the property, remains unpaid for a period of thirty days next after any such distress, may cause the said property to be sold and with the proceeds of such sale, may satisfy the amount payable and the costs including cost of sale remaining unpaid and shall render the surplus amount, if any, to such person;
- (e) the Managing Director may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such person and send it to the Collector of the district in which such person owns any property

or resides or carries on his business or to any officer authorised by the Board and the said Collector or the said officer, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue;

- (f) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the Managing Director may file an application to the appropriate Magistrate and such Magistrate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him.

(2) Where the terms of any bond or other instrument executed under this Act or any rules or regulations made thereunder provide that any amount due under such instrument may be recovered in the manner laid down in sub-section (1), the amount may, without prejudice to any other mode of recovery, be recovered in accordance with the provisions of that sub-section.

(3) Where any amount of amount due, interest or penalty is payable by a person to the Board under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and which remains unpaid, the Managing Director, during the course of recovery of said arrears, may recover the amount from the said person as if it were an arrears of land revenue and credit the amount so recovered to the account of the Board.

87. Validity of notices and other documents.- No notice, order, requisition, licence, permission in writing or any other document issued under this Act or any rule or regulation shall be invalid merely by reason of any defect in form or detail.

88. Rewards to certain persons.- The Board may reward any person who brings to the notice of the Board contravention of any provisions of this Act like any misuse of water or breaking of mains or Board sewer or such other matters as may be prescribed.

89. Customer Grievance Redressal Forum.- The Board shall form a forum for providing an active customer service centre/call centre which shall duly provide effective redressal service to its customer for any matter relating to water supply and

sewerage systems in accordance with such regulations as the Board shall make in this behalf.

90. Appeals.- Any person aggrieved by any decision or order of any officer under this Act or any rule or regulation made thereunder may, within a period of sixty days from the date of the service of such decision or order, appeal to the appellate authority as prescribed by the regulation and subject to revision by the Board, the orders of the appellate authority on such appeal shall be final.

91. Revision.- The Board may call for the records of any proceedings of any officer subordinate to it for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order or proceedings and may pass such order with respect thereto as it thinks fit.

92. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other proceeding shall be instituted or shall be entertained in any court against any member of the Board or of the consultative council or any Committee constituted under this Act, or against any other officer or employee of the Board or against any person acting under the order or direction of any such person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, regulation or other instrument made thereunder.

93. Notice to be given of suits.- (1) No suit shall be instituted against the Board or against any officer or employee of the Board or against any person acting under the order or direction of the Board or any officer or other employee, in respect of any act done, or purporting to have been done in pursuance of this Act or any rule or regulation made thereunder, until the expiration of two months after notice in writing has been left at the office of the Board and, in the case of such officer or person, unless notice in writing has also been delivered to him or left at his office or place of residence, and unless such notice states explicitly the cause of action, the nature of the relief sought, the amount of compensation claimed and the name and place of residence of the intending plaintiff and unless the plaint contains a statement that such notice has been so left or delivered.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to apply to a suit in which the only relief claimed is an injunction of which the

object would be defeated by the giving of the notice or the postponement of institution of the suit.

94. Employees of the Board to be public servants.- All members, officers and employees of the Board, and any person entrusted with the execution of any function under this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

95. Power to make rules.- (1) The Government may, by notification make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) Any rule made under this Act may be made with retrospective effect and when such a rule is made, the reasons for so making the rule shall be specified in a statement to be laid before the House of the State Legislature.

(3) Every rule made under this Act, shall immediately after it is made be laid before the House of the State Legislature if it is in session and if it is not in session, in the session immediately following, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiration of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House of the State Legislature agrees in making any modification in the rule or in the annulment of the rule, the rule shall, from the date on which the modification or annulment is notified, have effect only in such modified form or shall stand annulled as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

96. Power of Board to make regulations.- The Board may, with the previous approval of the Government, make regulation, not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, to provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the administration of the funds and other property of the Board and the maintenance of its accounts;
- (b) the summoning and holding of meetings of the Board and the times and places at which such meetings shall be held, and the conduct of business

thereat and the number of Directors necessary to constitute a quorum;

- (c) the duties of the Board employees and their salaries, allowances and other conditions of service;
- (d) the fine which may be imposed for the breach of any law which may extend to one thousand rupees, and in case of continuing breach with the additional fine which may extend to one hundred rupees for every day, during which the breach continues after receipt of a notice from the Board to discontinue the breach;
- (e) the procedure to be followed by the Board in inviting, considering and accepting tenders; and
- (f) any other matter arising out of the Board's function under this Act, in which it is necessary or expedient to make regulations.

97. Delegation of powers.- (1) The Government may, by a notification in the Official Gazette, delegate to any officer subordinate to it or delegate to the Board all or any powers conferred on it by or under this Act, other than the power to make rules.

(2) The Government may, by notification in the Official Gazette, delegate such functions and powers of the Board as are provided under this Act, as may be specified in the notification, to a local authority and such local authority shall exercise such powers and discharge such functions of the Board under this Act.

(3) The Board may, by an order, assign and delegate any of its functions and powers to its Managing Director or any other member or to any officer or employee of the Board subject to such conditions or limitations as it may deem fit except the function and power of making regulations.

(4) The Board may, by an order, assign and delegate any of its functions and powers to any Committee, or to any officer or employee of the Board, subject to such conditions or limitations as it may deem fit.

98. Immunity to the Board.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be maintainable against the Board, or any person acting under the directions of the Board or its members, officers or employees thereof in respect of anything done lawfully and in good faith and with due care and attention under this Act.

99. Service of notice under this Act.- All documents, which expression shall include notice and orders required by this Act or the rules and regulations made thereunder to be served upon any person, shall, save as otherwise provided in this Act or the rules and regulations made thereunder, be deemed to be duly served where it is sent by registered post or speed post or delivered at the place of his residence or business or given or tendered to the person to whom it is addressed or if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business, or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates, or where an attempt to serve a document on any person in the manner indicated in the foregoing provisions of this section fails, it shall be deemed to be an effective service of the document on such person if the notice of the document to be served is published in any daily local newspaper.

100. Bar of jurisdiction of civil court.- (1) No civil court shall take cognizance of any matter which is required to be or may be decided by the Government, Board, or the appellate authority under the provisions of this Act.

(2) An order passed or a direction given by the Government to the Board, or the appellate authority under the provisions of this Act or an order passed or notice issued by the Board or the appellate authority under the provisions of this Act shall be final.

101. Control by the Government.- (1) The Board shall exercise their powers and perform their duties under this Act in accordance with the policy framed and the guidelines laid down, from time to time, by the Government for establishment, planning, development, operation, maintenance, management and regulation of the water supply and sewerage systems within the jurisdiction of the Board.

(2) The Board shall be bound to comply with such direction which may be issued from time to time by the Government for efficient administration of this Act.

102. Act to override other Rajasthan Laws.- Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan Law for the time being in force.

103. Repeal and savings.- (1) The Jaipur Water Supply and Sewerage Board Ordinance, 2018 (Ordinance No. 4 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The functions related to water supply and sewerage management in Jaipur is presently being carried out by multiple agencies like the Public Health Engineering Department (PHED), Jaipur Nagar Nigam (JNN), Jaipur Development Authority (JDA), and Rajasthan Housing Board (RHB). There is a need to take a cohesive approach for planning, development, implementation and management of activities relating to water supply and sewerage services. It is therefore, essential to have a separate institution to provide a holistic and integrated approach to the management of water supply and sewerage systems in Jaipur Urban Area.

The proposed Bill *interalia* provides for the constitution of the Jaipur Water Supply and Sewerage Board, its functions, fund, schemes and plans to be prepared and implemented by the Board and control by the State Government.

Therefore, by virtue of the powers envisaged and conferred under Article 243 W and Schedule 12 of the Constitution of India, the State Government is bringing this legislation to enable the Board to undertake functions related water supply and sewerage management. The provisions of Rajasthan Municipalities Act, 2009 as far as it relates to sewerage management within the Jaipur Urban Area shall not be applicable to Jaipur Nagar Nigam as it will be taken over by the Board after enactment of this legislation.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Jaipur Water Supply and Sewerage Board Ordinance, 2018 (Ordinance No. 4 of 2018), on 15th June, 2018,

which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 15th June, 2018.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प- 2 (29) विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2018 प्रेषक: श्रीचंद नूपलानी, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

श्रीचंद कृपलानी,
Minister Incharge .

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules, and the Board, to make regulations with respect to matters stated against each such clause:-

State Government Clauses	With respect to
3(4)	prescribing the members of the Board including Chairperson and other official and non-official members, not exceeding fifteen persons;
4	prescribing the salary, allowances and other terms and conditions of service of the non-official members;
6 (1)	prescribing the procedure of inquiry for removal of member of the Board;
16 (1) (c)	prescribing the amount upto which the Managing Director may sanction any estimate or contract including technical and administrative nature;
16 (2)	prescribing the manner and procedure for giving contracts by the Board;
18 (2)	prescribing various heads of accounts and manner and form in which the receipt and expenditure of the Board shall be kept under them;
23	prescribing the manner in which the payment from the Fund shall be made;
25	prescribing the form and manner in which the Managing Director shall prepare the budget estimate and present it to the Board;
28	prescribing the manner in which the instruments like loan, debenture, bonds etc. shall be issued, transferred, dealt with and redeemed by the Board;
30	prescribing the principles in accordance with which annual provisions for Depreciation Reserve shall be made;
31	prescribing the principles for utilization of Improvement Reserve;

- 32(1) prescribing the form and manner in which the Board shall keep accounts;
- 32 (3) prescribing the charges to be paid by the Board for audit, from the Fund;
- 34 (2) (b) prescribing the conditions relating to lease, sale or otherwise transferring of any movable and immovable property;
- 34(2) (c) prescribing the manner in which the Board shall abstract, treat, supply and distribute water and to prescribe standards for treatment, supply and distribution of recycled water;
- 34 (2) (d) prescribing the manner in which the Board shall lay mains, service pipes and communication pipes and provide for fire hydrants, stopcocks, water meters, etc;
- 34(2) (f) prescribing the manner in which the Board shall acquire right of user in the property to construct, operate, maintain, supply and regulate water supply;
- 34(2) (g) prescribing the manner in which the Board shall acquire right of user in the property to construct, operate, maintain and regulate sewerage systems;
- 34 (2) (h) prescribing the manner to plan for, regulate the use of, and to manage, abstraction of, raw water, ground water and supply of treated waste water;
- 34 (2) (t) prescribing the manner in which an agreement on public private partnership basis shall be entered into;
- 37 prescribing the circumstances and conditions under which the water supplied for domestic purpose be used or allowed to be used for non-domestic purpose;
- 43 prescribing the rates at which the charges are to be paid for defraying the capital cost of sewerage and sewerage treatment works undertaken by the Board and the operation and maintenance of the sewerage system;
- 44 prescribing the connection fee and other charges to obtain sewer connection by the owner or occupier of any premises and conditions in this

- regard to be complied with ;
- 47 prescribing the manner in which any group or block of premises may be drained by a combined operation;
- 50 prescribing the terms and conditions for obtaining the permission for connecting or communicating with the sewers and sewage treatment works;
- 95 (1) for carrying out all or any of the purposes of the Act; and

**Board
Clauses**

With respect to

- 10(1) laying down rules of procedure regarding the transaction of business at the Meetings of Board and the quorum for meeting;
- 12 (2) determining the salaries and allowances and other conditions of service of the officers and employees of the Board;
- 15 (1) specifying the purposes and functions to constitute other Committees;
- 15(2) providing the place and time for the Committees' meetings and the rules of procedure to be observed for transaction of business at the meetings;
- 15(3) prescribing the allowances to be paid to the members of the Committees for meeting the personal expenditure in attending the meetings and for attending to any other work of the Committees;
- 38 providing the terms and conditions for supply of water for any purpose other than domestic purpose;
- 52 providing for erecting upon any premises or for affixing to the outside of any building or to any tree any shaft or pipe for the purpose of ventilating sewer or cesspool;
- 73(2) providing the trivial nature of work for which certificate from the Licensed Engineer or Plumber is not necessary;
- 73(3) (i) making regulations for compliance by the

- Licensed Engineers or Plumbers;
- 73(3) (ii) prescribing the charges to be paid to the Licensed Engineers or Plumbers;
- 88 prescribing other matters regarding contravention of any provisions of the Act for which the Board shall give reward to person who brings to notice of the Board such contravention;
- 89 providing for the Customer Grievances Redressal Forum which shall provide effective redressal service to the customer for any matter relating to water supply and sewerage systems;
- 90 prescribing the appellate authority to whom any person aggrieved by any decision or order of any officer under this Act may appeal;
- 96 (a) providing for administration of funds and other property of the Board and maintenance of its accounts;
- 96 (b) providing for summoning and holding of meetings of the Board and the times and places at which such meetings shall be held, and the conduct of business thereat and the number of Directors necessary to constitute a quorum;
- 96 (c) providing for the duties of the Board employees and their salaries, allowances and other conditions of service;
- 96 (d) providing for the fine which may be imposed for the breach of any law;
- 96 (e) providing for the procedure to be followed by the Board in inviting, considering and accepting tenders;
- 96 (f) generally to make regulations subject to any other matter arising out of the Board's function under the Act and the rules made thereunder.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

श्रीचंद कृपलानी,
Minister Incharge .

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill provides for the constitution of Jaipur Water Supply and Sewerage Board in the State. The recurring and non-recurring expenditure to be incurred for establishment and functioning of the Board is estimated to be rupees 292 crore (Rupees Two Hundred Ninety Two Crore) per annum and rupees 95 crore (Rupees Ninety Five Crore) respectively. In case of recurring expenditure, rupees 256 crore is estimated for water supply and rupees 36 crore is estimated for sewerage. In case of non-recurring expenditure, rupees 55 crore is estimated for water supply and rupees 40 crore is estimated for sewerage.

The above amount is likely to increase in the subsequent years depending on the size of operations of the Board and its employees cost.

श्रीचंद कृपलानी,
Minister Incharge .

2018 का विधेयक सं. 24

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

जयपुर नगरीय क्षेत्र में जलप्रदाय और मलवहन प्रणाली के प्रबंध के लिए जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड की स्थापना और निगमन और उससे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(श्रीचंद कृपलानी, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 24 of 2018

**THE JAIUR WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD
BILL, 2018**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide for establishment and incorporation of the water supply and sewerage board for the management of water supply and sewerage system in Jaipur Urban Area and matters connected therewith and incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(Shrichand Kriplani, **Minister-Incharge**)